



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2008/भाद्र 18, 1930

No. 16]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2008/BHADRA 18, 1930

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2008

का.नि.आ. 21(अ).— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**1 लघु नाम और प्रारम्भ:-**

- (1) इन नियमों को रक्षा सेवा में सिविलियन (संशोधित वेतन) नियम, 2008 कहा जाएगा।
- (2) इन्हें 1 जनवरी, 2006 से लागू माना जाएगा।

**2 उन सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां जिन पर ये नियम लागू होंगे:-**

- (1) अन्यथा उपलब्ध व्यवस्था या इन नियमों में निहित प्रावधानों को छोड़कर ये नियम संघ के कार्यों के संबंध में नियुक्त कर्मचारियों और पदों, जिनका वेतन रक्षा सेवा प्रावकलन में से अदा होता है तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
- (2) ये नियम लागू नहीं होंगे:-
  - (i) उन व्यक्तियों पर, जो राजनयिक, कांसुली अथवा विदेशों में स्थित भारतीय संस्थापनाओं में स्थानीय रूप से सेवार्थ भर्ती हैं;
  - (ii) उन व्यक्तियों पर, जो पूर्णकालिक सेवायोजन में नहीं हैं;
  - (iii) उन व्यक्तियों पर, जिनका भुगतान आकस्मिक निधि से किया जाता है;
  - (iv) उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है, उनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है;
  - (v) उन व्यक्तियों पर जो अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं। केवल उन व्यक्तियों को छोड़कर जहां अनुबंध में अन्य प्रकार से इसका प्रावधान किया गया हो;

- (vi) उन व्यक्तियों पर जो सेवा-निवृत्ति के बाद पुनः सरकारी नौकरी में लगाए गए हों;
- (vii) उन किसी भी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा सारे कार्यों से अथवा इन नियमों में निहित प्रावधानों से विशेष रूप से निष्कासित करते हैं।

3 परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (1) "मौजूदा मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित मौजूदा वेतनमान में आहरित किया जाता है, जिसमें गत्यवरोध वेतनवृद्धियां भी शामिल हैं परन्तु इनमें "विशेष वेतन", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।
- (2) सरकारी कर्मचारियों के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वर्तमान वेतनमान से है जो सरकारी कर्मचारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 को वास्तविक अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा जैसा भी मामला हो, वैयक्तिक वेतनमान पर लागू हो)।
- "स्पष्टीकरण- किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो 1 जनवरी, 2006 को विदेश में प्रतिनियुक्ति अथवा अवकाश पर अथवा विदेश सेवा में था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था "मौजूदा वेतनमान" में किसी पद के लिए ग्रां वेतनमान जो उसने भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुए भी विदेश सेवा में होते हुए अथवा, जैसा भी मामला हो, धारित किया होता, शामिल होगा।
- (3) "मौजूदा परिलब्धियों" से आशय है (i) मौजूदा मूल वेतन, (ii) मूल वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई वेतन तथा (iii) मूल वेतन पर दिया जाने वाला उपयुक्त महंगाई भत्ता + 536 (1982 = 100) के सूचकांक औसत पर दिया जाने वाला महंगाई वेतन।
- (4) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद/ग्रेड के संबंध में "मौजूदा वेतनमान" से आशय उस वेतनमान से है जिसका उल्लेख कालम 3 में पद के सामने किया गया है;
- (5) "वेतन बैंड में वेतन" का तात्पर्य है प्रथम अनुसूची के कॉलम 5 में दिए गए रनिंग वेतन बैंडों में आहरित वेतन।
- (6) "ग्रेड वेतन" पूर्व-संशोधित वेतनमानों/पदों के अनुरूप नियत देय राशि।
- (7) प्रथम अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित किसी भी पद के संबंध में "संशोधित वेतन ढाँचे" का तात्पर्य उसके कालम 5 तथा 6 में निर्दिष्ट वेतनमान या उस पद के समक्ष उल्लिखित ग्रेड वेतन और वेतन बैंड से है, बशर्त कि उस पद के लिए अलग से भिन्न-भिन्न संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान अधिसूचित न किए गए हों।
- (8) संशोधित वेतन ढाँचे में "मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो निर्धारित वेतन बैंड तथा लागू ग्रेड वेतन के जोड़ में आहरित किया जाता है, परन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

एच ए जी +, शीर्षस्थ वेतनमान तथा मंत्रिमण्डल सचिव के वेतनमान में सरकारी कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन का तात्पर्य निर्धारित वेतनमान में मिलने वाले वेतन से है।

- (9) "संशोधित परिलब्धियों" का अर्थ संशोधित वेतनमान में सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन से है जिसमें संशोधित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त उसे दिया जाने वाला संशोधित प्रैक्टिस बंदी भत्ता, यदि कोई हो, या एग्र ए जी + उसके ऊपर के वेतनमान में मूल वेतन भी शामिल है।
- (10) "अनुसूची" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

4 पदों का वेतनमान- प्रथम अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित प्रत्येक पद/ग्रेड के लिए यथा लागू वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान का उल्लेख उसके कॉलम 5 तथा 6 के सामने किया जाएगा।

5 संशोधित वेतन ढाँचे में वेतन का आहरण- इन नियमों में अन्यथा निहित प्रावधानों को छोड़कर कोई भी सरकारी कर्मचारी उसके नियुक्त पद पर लागू संशोधित वेतन ढाँचे में अपना वेतन प्राप्त करेगा।

बशर्त कि कोई सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वृद्धि की तारीख तक, अथवा वह पद रिक्त करने तक अथवा उस वेतनमान में वेतन आहरण करना छोड़ने तक मौजूदा वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

इसके अलावा यह भी शर्त है कि ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी को 1/1/2006 तथा पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि के कारण बनाए गए इन नियमों की अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, वह सरकारी कर्मचारी ऐसी पदोन्नति, स्तरोन्नयन आदि की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे का विकल्प चुन सकता है।

स्पष्टीकरण 1- इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देय होगा।

स्पष्टीकरण 2- ऊपर दिया गया विकल्प 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह सरकारी सेवा में पहली बार आया हो अथवा दूसरे पद से स्थानांतरित होकर आया हो, उसे केवल संशोधित वेतन ढाँचे में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण 3- जहां कहीं कोई सरकारी कर्मचारी मूलभूत नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अंतर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न क्षमता पर धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अंतर्गत मौजूदा वेतनमान को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूलभूत वेतन होगा जो मौजूदा वेतनमान के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका पुनर्ग्रहणाधिकार रहता या निलंबित न किए जाने तक उसका पुनर्ग्रहणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की खासियत लिए हुए वह अर्जित करता।

## 6 विकल्प का चयन-

- (1) नियम 5 के उपबंध के अंतर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस फार्म पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उप नियम (2) में वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के तीन माह के अंदर पहुंच जाने चाहिए अथवा जहां वर्तमान वेतनमान

निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहां इसका संशोधित नियम की तारीख के प्रकाशन के तीन माह बाद तक पहुंचना मान्य होगा।

बशर्त कि-

- (i) उस मामले में जब सरकारी कर्मचारी उस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा अथवा सविराज्य सेवा में देश से बाहर हो। उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के भारत में आने और यहाँ का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के अंदर लिखित रूप में पहुंच जाए, तथा
  - (ii) जहां कोई सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को निलंबित हो तो ऐसे में उसके काम पर लौटने की तारीख इस उप-नियम के प्रकाशित होने की तारीख के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अंदर लिखित विकल्प दे सकता है।
- (2) विकल्प की सूचना सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख को दी जाएगी।
  - (3) अगर सरकारी कर्मचारी का लिखित विकल्प उप-नियम 1 के अनुसार निर्धारित तारीख के अंदर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नए संशोधित वेतनमान द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे 1 जनवरी, 2006 से संशोधित वेतन ढाँचे के अनुसार वेतन दिया जाएगा।
  - (4) एक बार दिया गया विकल्प ही अंतिम होगा।

**नोट 1-** जिन लोगों की सेवा 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिए जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्तगी अथवा सेवा-मुक्ति अथवा अनुशासनहीनता के कारणों से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी इस नियम के लाभों का अधिकार होगा।

**नोट 2-** जो लोग 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अंदर संशोधित वेतन ढाँचे के लिए चयन का विकल्प नहीं दे सके उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने 1 जनवरी, 2006 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों को लाभप्रद लगे, उन्होंने नए वेतनमान का चयन कर लिया है। अगर संशोधित वेतन ढाँचे उनके हक में हैं तो बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी।

**नोट 3-** जो व्यक्ति 1/1/2006 को आजित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी के हकदार बनाता है, उन्हें छुट्टी के इस नियम के लाभ मिलेंगे।

**7 संशोधित वेतन ढाँचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण:**

- (1) कोई सरकारी कर्मचारी, जिसने 1 जनवरी, 2006 को और उसी तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के उप नियम (3) के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद-जिस पर वह कार्य-पुनर्ग्रहणाधिकार रखता है या निलंबित न होने की स्थिति में यह अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि राष्ट्रपति के विशेष नियम या अन्यथा निर्देश ना हो, उसका आरंभिक वेतन अलग से

निर्धारित किया जाएगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तरीका अपनाया जाएगा।

(क) सभी कर्मचारियों के मामले में-

- (i) वेतन बैंड/वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1/1/2006 को यथाविद्यमान मौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा।
- (ii) यदि संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से ज्यादा है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि:-

वेतन निर्धारण में जहां कहीं सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो मौजूदा वेतनमान में दो या अधिक संयोजी अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबद्ध हो जाता है, अर्थात् अन्यथा कहें तो इसी अवस्था पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबद्ध ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए उन्हें एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा जिससे कि संशोधित रनिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अधिक बंचिंग से बचा जा सके। इस प्रयोजन के लिए वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकल्पित की जाएगी। बंचिंग को कम करने के लिए वेतनवृद्धियां देते समय ग्रेड वेतन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

वेतन बैंड पी.बी. -4 में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एच ए जी) में वेतनमानों के मामले में बंचिंग के कारण वेतनवृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों में सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। एच ए जी + वेतनमान के मामले में संशोधित वेतनमान में पूर्व-संशोधित वेतनमान की प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान (जहां लागू हो) की उस अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उच्च अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित वेतन बैंड वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उसी सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो।

- (iii) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा। वेतन बैंड में वेतन के अलावा मौजूदा वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा।

नोट- उपर्युक्त पर उदाहरण 1 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

- (ख) उन कर्मचारियों, जो कि मौजूदा वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन/भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापन्न तौर पर किसी विशेष वेतन/भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैंड ग्रेड वेतन दिया गया है, ऐसे कर्मचारियों का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में ऊपर (क) के उप खण्ड में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा।
- (ग) उन कर्मचारियों, जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए



व्यक्तिगत वेतन, सचिवालय सहायकों के लिए विशेष वेतन, केन्द्रीय (कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर सा दृश्य भत्ता/वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर दिया गया है, के मामले में संशोधित वेतन ढांचा उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे। ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर भत्ते, इन भत्तों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे।

- (घ) चिकित्सा आधिकारिकों के मामले में उन चिकित्सा आधिकारिकों, जिनको प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिल रहा है, का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उपर्युक्त खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे मामलों में सूचकांक औसत 536 (1982= 100) पर स्वीकार्य प्रैक्टिस-बंदी भत्तों के लिए उपर्युक्त पूर्व-संशोधित महंगाई भत्ता संशोधित वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण करते समय जोड़ा जाएगा तथा ऐसे मामलों में नई दरों पर प्रैक्टिस-बंदी भत्ता 1/1/2006 अथवा संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारित वेतन के अतिरिक्त मिलेगा। इस संबंध में उदाहरण 2 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

#### टिप्पणी 1-

(क) समूह "घ" कर्मचारियों के मामले में, संशोधित वेतन ढांचे में वेतन प्रारंभ में उपर्युक्त खंड (क) के अनुसार- 1एस वेतन बैंड में उपर्युक्त ग्रेड वेतन के साथ निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात ऐसे उन समूह "घ" कर्मचारियों का वेतन 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ पी.बी. 1 में 1.1.2006 से निर्धारित किया जाएगा जो पी.बी. 1 में प्रविष्टि के लिए निर्धारित आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित न्यूनतम अर्हताएं पहले से ही रखते हैं।

(ख) ऐसे मौजूदा समूह "घ" कर्मचारी, जो पी.बी. 1 में प्रविष्टि के लिए संशोधित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, को संबंधित विभाग द्वारा आधिमानतः छह माह के भीतर पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि स्तरोन्नयन के फलस्वरूप मिलने वाले बकाया के भुगतान में विलम्ब न हो। पुनः प्रशिक्षण के बाद इन समूह "घ" कर्मचारियों को भी 1.1.2006 से 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड पी.बी. 1 में रखा जाएगा और तदनुसार बकाया राशि आहरित की जाएगी। एक बार वेतन बैंड पी.बी. 1 में आने के बाद, इस श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारी पहले से ही न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अन्य श्रेणी के समूह "घ" कर्मचारियों की तुलना में अपनी वरिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेंगे और इसीलिए ये 1.1.2006 को पी.बी. वेतन बैंड में रखे गए हैं। तत् कालीन समूह "घ" में सभी कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निचले वेतनमान वाले कर्मचारी की तुलना में उच्च वेतनमान में रखे जा रहे पूर्व-संशोधित उच्च वेतनमान वाले समूह "घ" कर्मचारी के साथ पूरी तरह बहाल रखी जाएगी। उसी पूर्व-संशोधित वेतनमान में वरिष्ठता, जो संशोधन से पहले थी, बनी रहेगी।

(ग) दोनों मामलों में अर्थात् अर्हताएं रखने वाले समूह "घ" के वे कर्मचारी जिन्हें सीधे पी.बी. 1 में रखा गया है तथा समूह "घ" के वे कर्मचारी जिनके पास अर्हता नहीं है, लेकिन पुनः प्रशिक्षण के बाद रखा गया है, की बकाया राशि 1.1.2006 से देय होगी। समूह "घ" कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से संबंधित उदाहरण 3 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

#### टिप्पणी 2क-

जहां किसी पद को छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के फलस्वरूप स्तरोन्नत किया गया है, जैसा कि इन नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग "ख" अथवा भाग "ग" में दर्शाया गया है, वहाँ लागू वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुरूप निर्धारित पद्धति से दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन को गुणक 1.86 से गुणा करने के फलस्वरूप आने वाली संख्या को दस के अगले गुणज में पूर्णांकित करके किया जाएगा। स्तरोन्नत

वेतनमान के सा दृश्य ग्रेड वेतन, जैसा भाग "ख" अथवा "ग" के कॉलम 6 में दर्शाया गया है, अतिरिक्त रूप से देय होगा। इस संबंध में उदाहरण 4 क इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

टिप्पणी 2(ख)- वेतनमानों के आमेलन के मामले में, संशोधित वेतन बैंडों में वेतन का नियतन दिनांक 01.01.2006 को यथावियमान स्थिति के अनुसार मौजूद मूल वेतन को 1. 86 के गुणक से गुणा करके तथा इसके फलस्वरूप प्राप्त संख्या को दस के गुणक में पूर्णांकित करते हुए नियम 7 के खंड (क) (i) और (ii) के अनुसरण में निर्धारित तरीके से मौजूद मूल वेतन को गुणा करते हुए किया जाएगा। भाग ख अथवा ग के कॉलम 6 में दर्शाए गए अनुसार आमेलित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन इसके अतिरिक्त दिया जाएगा। इस संबंध में इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में उदाहरण 4 ख दिया गया है।

टिप्पणी 3- यदि कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को छुट्टी पर हो और वह छुट्टी का वेतन लेने का हकदार हो तो वह 1.1.2006 से अथवा संशोधित वेतन ढांचे में विकल्प देने की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन लेने का हकदार होगा। इसी प्रकार यदि कोई सरकारी कर्मचारी जनवरी, 2006 की पहली तारीख को अध्ययनार्थ छुट्टी पर हो तो वह 1.1.2006 अथवा विकल्प की तारीख से इन नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा।

टिप्पणी 4- निलंबित सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिए जाने के अधीन होगा।

टिप्पणी 5- जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी स्थायी पद पर हो तथा नियमित आधार पर किस उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनों पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उप नियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में ही किया जाए जाएगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थायी वेतन माना जाएगा।

इस नोट के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित, उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जो कि विभिन्न मौजूदा वेतनमानों के स्थान पर एक संशोधित वेतन संरचना वाले स्थानापन्न पद पर कार्यरत हैं।

टिप्पणी 6- यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मौजूदा परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियां" से अधिक हो जाती हैं तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

टिप्पणी 7- जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में कोई कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले समान कांडर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी अवस्था तक बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो।

टिप्पणी 8- जहां कोई सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है, तो उस अंतर को

वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में उस सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी।

**टिप्पणी 9-** उन कर्मचारियों के मामले में जो कि 1 जनवरी, 2006 के पूर्व "हिन्दी शिक्षण योजना" के अंतर्गत हिन्दी प्राज्ञ, हिन्दी टंकण, हिन्दी आशुलिपिक तथा इस प्रकार की अन्य परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए या रोकड़ शाखा एवं लेखा-मामलों में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनका यह व्यक्तिगत वेतन, संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2006 से या उसके आगे की उस अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा, जिस अवधि तक कर्मचारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।

**स्पष्टीकरण-** इस टिप्पणी के प्रयोजनार्थ, "संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर" से अभिप्राय वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन के उस जोड़ के 3 प्रतिशत से है जिस पर कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारित होगा।

**टिप्पणी 10-** ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी की 1 जनवरी, 2006 के पहले किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ कर्मचारी से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि 1 जनवरी, 2006 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है। तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी का वेतन उसके कनिष्ठ कर्मचारी को उच्च पद पर दिए जा रहे वेतन बैंड में वेतन के बराबर कर दिया जाए। यह वृद्धि कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति की तिथि से की जाएगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात्:-

- (क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों का एक ही कैडर का होना चाहिए तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुए हैं वह कैडर में समान पद होने चाहिए।
- (ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व-संशोधित वेतनमान तथा संशोधित ग्रेड वेतन जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, समान होने चाहिए।
- (ग) वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी पदोन्नति के समय कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों।
- (घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिए। यदि कनिष्ठ पद पर भी कोई कनिष्ठ अधिकारी संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में आब्यग्रम वेतनवृद्धि दिए जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस नोट के प्रावधानों को लागू करते हुए वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

- (2) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उप नियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन मूलभूत पद में नियत किए गए वेतन से कम है तो पूर्व को मूलभूत वेतन के अगले चरण से ऊपर नियत किया जाएगा।



8 1.1.2006 को अथवा उसके बाद नए रिक्तों के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारण- इन नियमों की प्रथम अनुसूची का भाग "क" का खण्ड " वेतन बैंड " में उस प्रारंभिक स्तर को दर्शाता है जिस पर किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन वाले विशेष पद पर सीधी भर्ती से आए कर्मचारियों का वेतन 1.1.2006 को अथवा उसके बाद निर्धारित किया जाएगा ।

यह 1.1.2006 और इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के बीच भर्ती हुए कर्मचारियों के मामले में भी लागू होगा । ऐसे मामलों में, जहां पूर्व संशोधित वेतनमानों में परिलब्धियाँ अर्थात् सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान (वेतनमानों में मूल वेतन जमा महंगाई भत्ता संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते के जोड़ से अधिक हों तो उस अंतर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

9 संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि- संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की दर वेतन बैंड में वेतन और लागू ग्रेड वेतन के जोड़ का 3 प्रतिशत होगी, जिसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा । वेतनवृद्धि की राशि वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ी जाएगी । इस संबंध में उदाहरण 5 इन नियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है । पी.बी. 3 के मामले में, 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के हिसाब से वेतनवृद्धि की परिवर्तनीय दरों की व्यवस्था की गई है । वेतनवृद्धि की यह उच्चतर दर पी.बी. 3 में आने वाले अधिकारिकों की संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक अधिकारिकों को नहीं दी जाएगी ।

10 संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि की तारीख- वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 01 जुलाई होगी । 01 जुलाई को संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह और अधिक पूरा करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे । संशोधित वेतन संरचना में 1.1.2006 को वेतन संशोधित वेतन ढांचे में 1.1.2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात् पहली वेतनवृद्धि 1.7.2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी, जिनकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2006 और 31 दिसंबर, 2006 के बीच होगी ।

बशर्ते कि उन व्यक्तियों के मामले में संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो 01 जनवरी, 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से मौजूदा वेतनमान का अधिकतम वेतन ले रहे थे । उसके बाद उन पर नियम 10 की शर्त लागू होगी ।

बशर्ते कि उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में डाल दिया जाएगा । उच्चतर वेतन बैंड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा । उसके पश्चात् वह उच्चतर वेतन बैंड में तब तक रहेगा जब तक वेतन बैंड में उसका वेतन पी.बी. 4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात् उसे और कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी ।

नोट 1- ऐसे मामलों में, जहां दो मौजूदा वेतनमानों में से एक को दूसरे के लिए पदोन्नति वेतनमान होने के कारण मिला दिया गया हो और अब कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी अपना वेतन निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के स्तर पर पा रहा हो तथा संशोधित वेतन संरचना में वेतन बैंड में वह मौजूदा उच्चतर वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन से अधिक वेतन ले रहा हो तो वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन बैंड में वेतन उसी तारीख से उक्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और इस प्रकार वह अपनी अगली वेतनवृद्धि नियम 10 के अनुसार प्राप्त करेगा ।

3380 GI/08-2

11 1 जनवरी, 2006 के बाद संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का निर्धारण- जहां सरकारी कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना जारी रखता है और उसे 1 जनवरी, 2006 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में बाद की तारीख से उसका वेतन निम्न प्रकार निर्धारित होगा:-

- (i) वेतन बैंड में वेतन का निर्धारण बाद की तिथि में लागू मूल वेतन को जोड़ते हुए किया जाएगा। उस तिथि को लागू महंगाई वेतन और पूर्व-संशोधित महंगाई भत्ता 1.1.2006 को यथा-विद्यमान दरों पर आधारित होगा। यह संख्या 10 के अगले गुणक से गुणा की जाएगी और इस प्रकार निकाली गई संख्या ही लागू वेतन बैंड में वेतन होगा। इसके अतिरिक्त पूर्व-संशोधित वेतनमान के अनुरूप ग्रेड वेतन भी देय होगा। जहाँ कहीं कोई सरकारी कर्मचारी विशेष वेतन या प्रैक्टिस बंदी भत्ता ले रहा होगा तो, नियम 7 (i) (ख), (ग) अथवा (घ) में यथा विहित प्रक्रिया जिस रूप में लागू हो, का अनुपालन किया जाएगा, सिवाय इसके कि उक्त तारीख को यथा लागू मूल वेतन और महंगाई वेतन ही गणना में लिया जाएगा किन्तु महंगाई भत्ते का परिकलन 1.1.2006 को लागू दरों के अनुसार ही किया जाएगा।

12 1 जनवरी, 2006 के बाद पुनः नियुक्त होने पर उस तारीख से पहले धारित पद पर वेतन का निर्धारण- वह सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2006 से पहले किसी पद पर स्थानापन्न रहा हो परन्तु उस तारीख को उस पद पर न रहा हो, जो बाद में उस पद पर नियुक्त होने पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन ले रहा हो तो उसे मूलभूत नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी स्थिति में दिया जाएगा कि क्या 1 जनवरी, 2006 को वह उस पद पर था और उसने उस तारीख को तथा उस तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में रहने का विकल्प दिया था।

13 1.1.2006 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन-निर्धारण- संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति की स्थिति में निर्धारण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगा।

- (i) वेतन बैंड में वेतन राशि के 3 प्रतिशत राशि के समान एक वेतनवृद्धि और मौजूदा ग्रेड वेतन को जोड़ लिया जाएगा तदन्तर इसे 10 के अगले गुणक में गुणा किया जाएगा इसे वेतन बैंड में मौजूदा वेतन से जोड़ लिया जाएगा इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जाएगा। जहां पदोन्नति में वेतन बैंड में तब्दीली भी जरूरी हो ऐसी स्थिति में इसी पद्धति का पालन किया जाएगा तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जाएगा।
- (ii) वेतन बैंड -4 से एच ए जी+ में पदोन्नति की स्थिति में, नियम 9 में यथा विहित तरीके से एक वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद, वेतन बैंड और मौजूदा ग्रेड में वेतन को मिला लिया जाएगा और इस प्रकार से हासिल संख्या ही एच ए जी+ में वेतन होगा। यह राशि वेतनमान के अधिकतम 80,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। प्रैक्टिस बंदी भत्ता, वेतन जमा प्रैक्टिस बंदी भत्ता पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह राशि 85,000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

14 वेतन-बकायों के भुगतान की विधि- बकायों का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त वृत्त राशि का 40 प्रतिशत होगी। बकायों की शेष 60 प्रतिशत राशि अगले वित्त वर्ष में दी जाएगी।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों हेतु:

- (क) "बकाया वेतन" का अर्थ एक सरकारी कर्मचारी के संबंध में निम्नलिखित के बीच अंतर:
- (i) इन नियमों के तहत वेतन और भत्तों में संशोधन के कारण वह संगत अवधि जिसका वह पात्र है के लिए उसका वृत्त वेतन एवं भत्ते संशोधित भत्ते (महंगाई भत्ते और प्रैक्टिस बंदी भत्ते के सिवाय) 1. 9. 2008 से ही देय होंगे; और
- (ii) उस अवधि के वेतन एवं भत्तों का वृत्त जिसका कि वह पात्र होगा (चाहे ऐसे वेतन और भत्ते पाए गए हों या नहीं) चाहे इस प्रकार से उसका वेतन संशोधित नहीं किया गया हो।
- (ख) "प्रासंगिक अवधि" से आशय 1 जनवरी, 2006 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि से है।

15 नियमों का अधिक्रमण - मूलभूत नियमावली, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (वेतन का संशोधन) नियम, 1947, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (संशोधित वेतन) नियम, 1960 और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (संशोधित वेतन) नियम, 1973, रक्षा सेवाओं में सिविलियन (संशोधित वेतन) नियम, 1986 और रक्षा सेवाओं में सिविलियन (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के प्रावधान, जैसा कि अन्यथा उपबंधित है, के सिवाय, इन नियमों के साथ असंगत होने की सीमा तक उन मामलों पर लागू नहीं होंगे जहां इन नियमों के अधीन वेतन विनियमित किया गया हो।

16 ढील देने की शक्ति - राष्ट्रपति, जहां संतुष्ट हों कि इन नियमों के सभी या कोई एक प्रावधान किसी विशेष मामले में अवांछित अड़चन पैदा करता है, तो इस स्थिति में वे इस मामले के न्यायसंगत निपटान के लिए यथा-आवश्यक सीमा तक इस आदेश के विलोपन या इसमें वांछित मात्रा तक ढील दे सकते हैं बशर्त कि वे ऐसा किया जाना जरूरी समझें।

17 व्याख्या- इन नियमों के किसी प्रावधानों की व्याख्या पर यदि कहीं कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो निर्णय के लिए इसे केन्द्र सरकार के पास भेजा जाए।

पहली अनुसूची  
(नियम 3 और 4 देखें)

भाग- क

खण्ड I

जिन पदों के लिए संशोधित वेतनमान अलग से अधिसूचित किए गए हैं, के सिवाय 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' समूहों में विद्यमान पदों के लिए संशोधित वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन

(रुपए में)

मौजूदा वेतनमान			संशोधित वेतन संरचना		
क्र. सं.	पद/ ग्रेड	मौजूदा वेतनमान	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एस-1	2550-55-2660-60-3200	-1एस	4440-7440	1300
2	एस-2	2610-60-3150-65-3540	-1एस	4440-7440	1400
3	एस-2क	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1600
4	एस-3	2650-65-3300-70-4000	-1एस	4440-7440	1650
5	एस-4	2750-70-3800-75-4400	वेतन बैंड-1	5200-20200	1800
6	एस-5	3050-75-3950-80-4590	वेतन बैंड-1	5200-20200	1900
7	एस-6	3200-85-4900	वेतन बैंड-1	5200-20200	2000
8	एस-7	4000-100-6000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2400
9	एस-8	4500-125-7000	वेतन बैंड-1	5200-20200	2800
10	एस-9	5000-150-8000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
11	एस-10	5500-175-9000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
12	एस-11	6500-200-6900	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
13	एस-12	6500-200-10500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4200
14	एस-13	7450-225-11500	वेतन बैंड-2	9300-34800	4600
15	एस-14	7500-250-12000	वेतन बैंड-2	9300-34800	4800
16	एस-15	8000-275-13500	वेतन बैंड-2	9300-34800	5400
17	नया वेतनमान	8000-275-13500 (समूह 'क' प्रविष्टि)	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
18	एस-16	9000	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
19	एस-17	9000-275-9550	वेतन बैंड-3	15600-39100	5400
20	एस-18	10325-325-10975	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
21	एस-19	10000-325-15200	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
22	एस-20	10650-325-15850	वेतन बैंड-3	15600-39100	6600
23	एस-21	12000-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
24	एस-22	12750-375-16500	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
25	एस-23	12000-375-18000	वेतन बैंड-3	15600-39100	7600
26	एस-24	14300-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700

27	एस-25	15100-400-18300	वेतन बैंड-4	37400-67000	8700
28	एस-26	16400-450-20000	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
29	एस-27	16400-450-20900	वेतन बैंड-4	37400-67000	8900
30	एस-28	14300-450-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
31	एस-29	18400-500-22400	वेतन बैंड-4	37400-67000	10000
32	एस-30	22400-525-24500	वेतन बैंड-4	37400-67000	12000
33	एस-31	22400-600-26000	एच ए जी + वेतनमान	75500- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत) -80000	शून्य
34	एस-32	24050-650-26000	एच ए जी + वेतनमान	75500- (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत) -80000	शून्य
35	एस-33	26000 (नियत)	शीर्षस्थ वेतनमान	80000 (नियत)	शून्य
36	एस-34	30000 (नियत)	मंत्रिमंडल सचिव	90000 (नियत)	शून्य

## खण्ड - II

दिनांक 01.01.2006 को अथवा इसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती रिक्तों के लिए संशोधित वेतन ढांचे में प्रविष्टि वेतन

## वेतन बैंड-1 (5200-20200 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	घुञ्ज
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

## वेतन बैंड-2 (9300-34800 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	घुञ्ज
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

## वेतन बैंड-3 (15600-39100 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	घुञ्ज
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500



## वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपए)

ग्रेड वेतन	वेतन बैंड में वेतन	वृत्त
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

## भाग - ख

## कर्मचारियों की कुछ आम श्रेणियों के लिए संशोधित वेतनमान

## खण्ड - 1

- (i) कॉलम (2) में बताए गए पदों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) तथा (6) में निर्दिष्ट संशोधित वेतन ढांचा अनुमोदित किया गया है। दिनांक 01.01.2006 की यथा-स्थिति तक वेतन का आरंभिक निर्धारण इस अधिसूचना के नियम 7 के नीचे दी गई टिप्पणी 2 के अनुसार किया जाएगा।
- (ii) पूर्व-संशोधित वेतनमानों यथा- 5000-8000 रुपए, 5500-9000 रुपए तथा 6500-10500 रुपए के वेतनमानों के आमेलन के कारण, कुछ पद जो मौजूदा समय में फीडर तथा प्रोन्नति ग्रेडों को बनाते हैं, वे एक ही ग्रेड में आ जाएंगे। इन पदों की कुछ श्रेणियों के बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशें भाग- ख के खण्ड " में शामिल हैं। जहां तक अन्य पदों का संबंध है, इन तीन वेतनमानों के पदों को आमेलित कर देना चाहिए। यदि कार्यात्मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित करना व्यावहारिक नहीं है तो 5000-8000 रुपए तथा 5500-9000 रुपए के वेतनमान में पदों को पी.बी. - 2 वेतन बैंड में अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 7450-11500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समनुरूप 4600 रुपए के ग्रेड वेतन में स्तरोन्नत किए जा रहे 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए। यदि 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर दिया जाना चाहिए।
- (iii) अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा विधि में डिग्री, दोनों में से किसी एक की न्यूनतम अर्हता वाले 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पदों को भी स्तरोन्नत किया जाना चाहिए तथा 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के संशोधित पी.बी. - 2 वेतन बैंड के समनुरूप 7450-11500 रुपए के वेतनमान में रखना चाहिए।
- (iv) 6500-10500 रुपए के वेतनमान में इंजीनियरिंग अथवा विधि में डिग्री की न्यूनतम अर्हता रखने वाले पदों को स्तरोन्नत किया जाना चाहिए और इन्हें 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के वेतन बैंड से सादृश्य वेतनमान 7450-11500 रुपए में रखा जाना चाहिए।
- (v) उपर्युक्त (ii) के मुताबिक, स्तरोन्नयन रक्षा मंत्रालय एवं व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाए। उपर्युक्त (iii) तथा (iv) के संबंध में, स्तरोन्नयन रक्षा मंत्रालय द्वारा उसके अपने एकीकृत वित्त के साथ परामर्श से किया जाए।

## खण्ड - II

(रूप में)

क्र. सं.	पद	मौजूदा वेतनमान	संशोधित वेतनमान	सा दृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन		रिपोर्ट की पैरा सं.
				वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	सचिवालय में कार्यरत कर्मचारी*					
1	अनुभाग आधिकारी/ निजी सचिव/समकक्ष	6500-10500	7500-12000  8000-13500 (चार वर्ष पूरे करने पर)	वेतन बैंड-2  वेतन बैंड-3	4800  5400 (चार वर्ष पूरे करने पर)	3. 1. 9 (सरकार द्वारा संशोधित)
	* यह वेतनमान केवल उन संगठनों/सेवाओं में ही उपलब्ध होगा जिनकी सी एन सी /सी एन सी एन के साथ ऐतिहासिक साम्यता रही थी। ए एफ एच वक्यू एन एन /ए एफ एच वक्यू, एन एन एन / आर बी एन एन सरीखी सेवाओं तथा विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्वन्ता आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि जैसे मंत्रालयों/संगठनों में मंत्रालयी/सचिवालयी पदों को इसी से कवर किया जाएगा।					
II	सचिवालय से बाहर संगठनों के कार्यरत कार्यालय कर्मचारी					
1	प्रधान लिपिक/सहायक/ आशुलिपिक ग्रेड "/ समकक्ष	4500-7000 5000-8000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	3. 1. 14
2	प्रशासनिक आधिकारी ग्रेड "/ व निजी सचिव/समकक्ष	7500-12000	7500-12000 (नए भर्ती होने वालों के लिए प्रारंभिक ग्रेड)  8000-13500 (चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद)	वेतन बैंड-2	4800  5400 (चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद)	3. 1. 14
III	असंगठित लेखा संवर्गों से संबंधित लेखा स्टाफ असंगठित लेखा संवर्गों से संबंधित लेखा स्टाफ संगठित लेखा संवर्गों से बाहर लेखा संबंधी पदों तथा मंत्रालयी पदों के बीच मौजूद सापेक्षता को बरकरार रखा जाएगा तथा असंगठित लेखा संवर्गों से संबंधित लेखा स्टाफ को प्रतिस्थापित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन दिया जाएगा।					3. 8. 5

IV	कलाकार					
1	वरिष्ठ कलाकार	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3. 8. 6
V	वैन्टीन स्टाफ					
1.	पूर्व संशोधित समूह 'घ' वेतनमानों में वैन्टीन स्टाफ के पद	इन पदों पर काबिज कर्मचारियों को एक बार समुचित रूप से पुनःप्रशिक्षित कर लिया जाता है तथा बहु-कौशल्युक्त बना लिया जाता है तो समूह 'घ' में वैन्टीन स्टाफ के सभी पदों को 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी बी- 1 में रखा जाएगा ।				3. 8. 7
VI	आरेखण कार्यालय स्टाफ					
1	मुख्य ड्राफ्ट्समैन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3. 8. 9
VII	इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग (ई डी पी ) स्टाफ					
1	डाटा प्रोसेसिंग सहायक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3. 8. 11
VIII	दमकल स्टाफ					
1	फायरमैन	2610-3540	3050-4590	वेतन बैंड-1	1900	3. 8. 12
2	अग्रणी फायरमैन	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	
3	स्टेशन आधिकारी	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	
4	सहायक मंडलीय दमकल आधिकारी	5000-8000	6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	
5	उप मंडलीय दमकल आधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
IX	पुस्तकालय स्टाफ					
1	लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड " एवं ' के पदों को उन पर काबिज कर्मियों की दक्षता में समुचित बढ़ोतरी के बाद 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी.बी. -1 में आमेलित होकर रखा जाएगा ।					3. 8. 13
2	सहायक पुस्तकालय सूचना आधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
X	प्रयोगशाला स्टाफ					
1	पूर्व-संशोधित समूह 'घ' वेतनमानों में लेबोरेटरी स्टाफ के सभी पदों को (आम तौर पर लेबोरेटरी अटेंडेंट्स ग्रेड ' , " एवं " के रूप में पदनामित) उनकी दक्षता में समुचित बढ़ोतरी के बाद 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी.बी. - 1 में रखा जाएगा ।					3. 8. 14
2	लेबोरेटरी तकनीशियन ग्रेड'	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	

XI नर्सिंग एवं अर्ध-चिकित्सा स्टाफ						
1	स्टाफ नर्स	5000-8000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3. 8. 15
2	नर्सिंग सिस्टर	5500-9000	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	
3	आहार-विज्ञानी ग्रेड "/पी टी /ओ टी में प्राध्यापक/रेडियोग्राफ र	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
4	सहायक नर्सिंग अधीक्षक	6500-10500	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	
5	उप नर्सिंग अधीक्षक	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	
6	नर्सिंग अधीक्षक	8000-13500	10000-15200	वेतन बैंड-3	6600	
7	मुख्य नर्सिंग आधिकारी	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	
XII छायाकार						
1	फोटोग्राफी अटैंडेंट ग्रेड "/पूर्व संशोधित समूह 'घ' वेतनमान में कोई अन्य पद	2650-4000/ पूर्व-संशोधित समूह 'घ' वेतनमान में कोई अन्य वेतनमान		वेतन बैंड-1	1800	3. 8. 16
2	मुख्य छायाकार/समकक्ष	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
XIII मुद्रण स्टाफ						
1	6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमान में प्रिंटिंग स्टाफ के पद		7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	3. 8. 18
XIV रिसेप्शनिस्ट						
1	रिसेप्शनिस्टों विभिन्न पदों को सा दृश्य वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन में लिपिकीय संवर्ग के साथ आमेलित किया जाएगा। यदि लिपिकीय संवर्ग में कोई सा दृश्य ग्रेड वेतन मौजूद नहीं है, तो लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध ठीक ऊपर के ग्रेड वेतन में उनका आमेलन किया जाना चाहिए।					3. 8. 19
XV स्टोरकीपिंग स्टाफ						
1	वरिष्ठ स्टोर कीपर ग्रेड " (पदनाम पर ध्यान दिए बगैर स्टोरकीपिंग के सभी समकक्ष पदों को दिया जाएगा)	6500-10500	7450-1100	वेतन बैंड-2	4600	3. 8. 20

3380 6E/0803

XVI		अध्यापक				
1	प्राथमिक स्कूल अध्यापक	ग्रेड "" 4500-7000	ग्रेड "" 6500-10500	वेतन बैंड-2	4200	3. 8. 22
		ग्रेड " 5500-9000	ग्रेड " 7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
		ग्रेड ' 6500-10500	ग्रेड ' 7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	
2	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक	ग्रेड "" 5500-9000	ग्रेड "" 7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
		ग्रेड " 6500-10500	ग्रेड " 7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	
		ग्रेड ' 7500-12000	ग्रेड ' 8000-13500	वेतन बैंड-2	5400	
3	स्नातकोत्तर अध्यापक	ग्रेड "" 6500-10500	ग्रेड "" 7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	
		ग्रेड " 7500-12000	ग्रेड " 8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	
		ग्रेड ' 8000-13500	ग्रेड ' 10000-15200	वेतन बैंड-3	6600	
4	उप प्रधानाचार्य	ग्रेड " 7500-12000	ग्रेड " 8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	
		ग्रेड ' 8000-13500	ग्रेड ' 10000-15200	वेतन बैंड-3	6600	
5	प्रधानाचार्य	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	
6.	शिक्षा आधिकारी/ सहायक शिक्षा निदेशक	10000-15200	12000-16500	वेतन बैंड-3	7600	3. 8. 24
शिक्षा आधिकारी/ सहायक शिक्षा निदेशक के पद उप शिक्षा निदेशक के पद के साथ आमेलित किए जाते हैं।						
XVII		पशु चिकित्सक				
1	पैरा वेटेरेनरी अर्टिडेंट के समूह 'घ' पद	पैरा वेटेरेनरी अर्टिडेंट्स/कम्पाउंडर के साथ समूह 'घ' पदों को उनके समुचित प्रशिक्षण के बाद 1800 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ संशोधित वेतन बैंड पी.बी. - 1 में रखा जाता है				
2	6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित	6500-10500	7450-11500	वेतन	4600	3. 8. 25



	वेतनमान में सभी पैरा वेटेरेनरी कर्मचारी			बैंड-2		
3	वेटेरेनरी अधिकारी	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकरण के साथ पशुचिकित्सा में स्नातक एवं ए एच की अपेक्षित उपाधि वाले वेटेरेनरी अधिकारियों को सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारियों तथा दंत चिकित्साकों के समतुल्य रखा जाएगा				
XVIII	वर्तमान शॉप स्टाफ					
1	अवुशाल	2550-3200	2750-4400	वेतन बैंड-1	1800	3. 8. 27
2	अर्द्ध-वुशाल	2650-4000	2750-4400	वेतन बैंड-1	1800 *	3. 8. 29
3	सहायक शॉप अधीक्षक / उप शॉप अधीक्षक/सहायक फोरमैन	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	
	* मौजूदा अवुशाल और अर्द्ध वुशाल कर्मियों के ग्रेड आमेलित होते हैं । सहायक शॉप अधीक्षक/समकक्ष तथा शॉप अधीक्षक/समकक्ष के ग्रेड आमेलित होते हैं ।					

XIX	संगठित लेखा संवर्ग*					
1	अनुभाग अधिकारी	6500-10500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7. 56. 9
2	सहायक लेखा/ लेखापरीक्षा आधिकारी	7450-11500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7. 56. 9
3	लेखापरीक्षा/ लेखाधिकारी	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-2	5400	7. 56. 9
4	वरिष्ठ लेखापरीक्षा/ लेखाधिकारी	8000-13500	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	7. 56. 9
*भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू						

## भाग - ग

रक्षा मंत्रालय के अधीन विस्थापनाओं में कतिपय पदों के लिए  
संशोधित वेतन ढांचा

## खण्ड - I

- कॉलम (2) में बताए गए पदों के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) तथा (6) में निर्दिष्ट संशोधित वेतन ढांचा अनुमोदित किया गया है । दिनांक 01.01.2006 को यथा-स्थिति तक वेतन का आरंभिक निर्धारण इस अधिसूचना के नियम 7 के नीचे दी गई टिप्पणी 2 के अनुसार किया जाएगा ।
- पूर्व-संशोधित वेतनमानों यथा- 5000-8000 रुपए, 5500-9000 रुपए तथा 6500-10500 रुपए के वेतनमानों के आमेलन के कारण, कुछ पद जो मौजूदा समय में फीडर तथा प्रोन्नति ग्रेडों को बनाते हैं, वे एक ही ग्रेड में आ जाएंगे । इन पदों की कुछ श्रेणियों के बारे में वेतन आयोग द्वारा की गई विशिष्ट सिफारिशें

भाग- ग के खण्ड " में शामिल हैं। जहां तक अन्य पदों का संबंध है, इन तीन वेतनमानों के पदों को आमेलित कर देना चाहिए। यदि कार्यात् मक दृष्टि से इन वेतनमानों में पदों को आमेलित करना व्यावहारिक नहीं है तो 5000-8000 रुपए तथा 5500-9000 रुपए के वेतनमान में पदों को पी.बी. - 2 वेतन बैंड में अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 7450-11500 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान के समनुरूप 4600 रुपए के ग्रेड वेतन में स्तरोन्नत किए जा रहे 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर देना चाहिए। यदि 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पहले से ही पद मौजूद है तो 6500-10500 रुपए के वेतनमान से स्तरोन्नत किए जा रहे पद को 7450-11500 रुपए के वेतनमान में पद के साथ आमेलित कर दिया जाना चाहिए।

- (iii) आभियांत्रिकी में डिग्री अथवा विधि में डिग्री, दोनों में से किसी एक की न्यूनतम अर्हता वाले 6500-10500 रुपए के वेतनमान में पदों को भी स्तरोन्नत किया जाना चाहिए तथा 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के संशोधित पी.बी. - 2 वेतन बैंड के समनुरूप 7450-11500 रुपए के वेतनमान में रखना चाहिए।
- (iv) 6500-10500 रुपए के वेतनमान में इंजीनिरिंग अथवा विधि में डिग्री की न्यूनतम अर्हता रखने वाले पदों को स्तरोन्नत किया जाना चाहिए और इन्हें 4600 रुपए के ग्रेड वेतन के साथ 9300-34800 रुपए के वेतन बैंड से सा दृश्य वेतनमान 7450-11500 रुपए में रखा जाना चाहिए।
- (v) उपर्युक्त (ii) के मुताबिक, स्तरोन्नयन रक्षा मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाए। उपर्युक्त (iii) तथा (iv) के संबंध में, स्तरोन्नयन रक्षा मंत्रालय द्वारा उसके अपने एकीकृत वित्त के साथ परामर्श से किया जाए।

### खण्ड - II

अनुसूची 2 में निर्दिष्ट पदों के लिए अधिसूचना के इस भाग के कॉलम (5) और (6) में निर्दिष्ट संशोधित वेतन संरचना को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग						
1	मशीनमैन/ऑपरेटर ऑफसेट	4500-7000	5000-8000	वेतन बैंड-2	4200	7. 10. 17
2	सेना स्क्वॉर्लों में सहायक मास्टर	5500-9000	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7. 10. 21
3	सेना स्क्वॉर्लों में मास्टर गेजेटिड	7500-12000	8000-13500	वेतन बैंड-3	5400	7. 10. 21

तटरक्षक संगठन (सामान्य ड्यूटी शाखा)						
4	नाविक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7. 10. 26
5	उत्तम नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7. 10. 26
6	प्रधान नाविक	3200-4900 + विशेष वेतन 50 रुपए	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7. 10. 26
7	उत्तम आधिकारी	6500-10500	7450- 11500	वेतन बैंड-2	4600	7. 10. 26
8	प्रधान आधिकारी	6500- 10500+ विशेष वेतन 200 रुपए	7500- 12000	वेतन बैंड-2	4800	7. 10. 26
तटरक्षक संगठन (घरेलू शाखा)						
9	नाविक	2750-4400	3050-4590	वेतन बैंड-1	1900	7. 10. 26
10	उत्तम नाविक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7. 10. 26
11	प्रधान नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7. 10. 26
12	प्रधान आधिकारी	6500-10500	7450- 11500	वेतन बैंड-2	4600	7. 10. 26
तटरक्षक संगठन (विमानन शाखा)						
13	नाविक	3050-4590	3200-4900	वेतन बैंड-1	2000	7. 10. 26
14	उत्तम नाविक	3200-4900	4000-6000	वेतन बैंड-1	2400	7. 10. 26
15	प्रधान नाविक	4000-6000	4500-7000	वेतन बैंड-1	2800	7. 10. 26
16	उत्तम आधिकारी	6500-10500	7450- 11500	वेतन बैंड-2	4600	7. 10. 26
17	प्रधान आधिकारी	6500- 10500+विशेष वेतन 200 रुपए	7500- 12000	वेतन बैंड-2	4800	7. 10. 26
तटरक्षक संगठन (तकनीकी शाखा)						
18	उत्तम इंजीनियर	6500-10500	7450- 11500	वेतन बैंड-2	4600	7. 10. 26

19	प्रधान इंजीनियर	7450-11500	7500-12000	वेतन बैंड-2	4800	7. 10. 26
रक्षा उत्पादन विभाग						
20	डी जी वक्सू ए में सहायक लेखा आधिकारी	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7. 10. 33

रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग						
21	रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में परीक्षक ग्रेड *	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7. 10. 35
22	डी आर डी 30 में वरिष्ठ तकनीकी सहायक	6500-10500	7450-11500	वेतन बैंड-2	4600	7. 10. 39

दूसरी अनुसूची  
विकल्प फार्म  
नियम देखें

- \* (i) मैं दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू संशोधित वेतनमान का चयन करता हूँ।
- \* (ii) मैं मेरा मूल/स्थानापन्न पद नीचे दिए गए के अनुसार मौजूदा वेतनमान पर आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ जब तक कि:-
- \* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख
- मेरी बाद की वेतनवृद्धि की तारीख जिससे मेरे वेतन
- ..... रुपए हो जाए।
- मैं, मौजूदा वेतनमान में वेतन लेना बंद कर दूँ/छोड़ दूँ।

मौजूदा वेतनमान

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

कार्यरत कार्यालय का नाम

दिनांक:

स्टेशन:

- \* यदि लागू न हो, तो काट दिया जाए।

**रक्षा सेवाओं में सिविलियनों के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन  
(संशोधित वेतन) नियमावली, 2008**

**नियम 1 -** यह नियम स्वतः स्पष्ट है।

**नियम 2 -** यह नियम उन कर्मचारियों को श्रेणीबद्ध करता है जिन पर यह लागू होगा। खण्ड (2) में वर्गीकृत श्रेणियों को छोड़कर राष्ट्रपति के अधिकार में आने वाले उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगा जो रक्षा सेवा प्राक्कलन से भुगतान प्राप्त करने वाले विभागों में कार्यरत हैं। तथापि, यह कार्य प्रभारित संस्थानों पर लागू होगा।

**नियम 3 और 4 -** ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

**नियम 5 -** इस नियम का अभिप्राय यह है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के अंतर्गत लाया जाए सिवाय उन लोगों के जो मौजूदा वेतनमानों में वेतन आहरित करने का चुनाव करते हैं। जो मौजूदा वेतनमान में ही बने रहना चाहते हैं उन्हें महंगाई भत्ते की वे किश्तें मिलते रहेंगी जो 01 जनवरी 2006 को लागू थीं और महंगाई भत्ता उस वृत्त परिलब्धि में शामिल माना जाएगा जो पेंशन आदि के लिए उस तारीख से लागू हैं। यदि सरकारी कर्मचारी मौलिक क्षमता के अनुसार स्थायी पद पर काबिज़ है तथा अपने से ऊंचे पद का कार्य निभा रहा है, अथवा उसके प्रतिनियुक्ति आदि पर न होते हुए एक या अधिक पदों का कार्य निभाया हुआ होता तो उसके पास वेत्चल एक वेतनमान के संबंध में मौजूदा वेतनमान में बने रहने का विकल्प होता। ऐसा सरकारी कर्मचारी स्थायी पद अथवा कार्यवाहक पदों में से किसी एक पद पर लागू मौजूदा वेतनमान में बने रह सकता है। शेष पदों के संबंध में उसे संशोधित वेतन संरचना के तहत अनिवार्यतः लाया जाना होगा।

**नियम 6 -** यह नियम यह पद्धति विनिर्दिष्ट करता है कि विकल्प का चयन कैसे किया जाए और किस प्राधिकरण को अपने विकल्प से अवगत कराया जाए। अपना विकल्प नियमावली के साथ संलग्न फार्म पर ही उपलब्ध करवाना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकारी कर्मचारी के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपना विकल्प चुन ले बल्कि उसके लिए यह भी जरूरी है कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर ही अपना चयनित विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाए। अगर इन नियम के अनुपालन के समय कोई सरकारी कर्मचारी देश के बाहर है तो उसे भारत में आकर अपना अधिभार ग्रहण करने की तिथि से तीन महीने की समय-सीमा के अंदर अपना चयनित विकल्प संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना होगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन पदों की संशोधित वेतन संरचना की घोषणा इन नियमों के जारी होने की तारीख के बाद होती है, ऐसी घोषणा की तारीख से तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

जो लोग 01 जनवरी, 2006 और इस नियम के जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी अपना विकल्प चुनने का अधिकार होगा।

**नियम 7(1) -** इस नियम का संबंध 01 जनवरी, 2006 को यथाव्ययमान वेतनमानों में वेतन के वास्तविक निर्धारण से है। नियम 7(1) के नीचे टिप्पणियों के तहत वेतन-वर्धन की शर्त पर इस उप-नियम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी का वेतन निर्धारित करने का तरीका दर्शाने वाले कुछ उदाहरण संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

**नियम 7(2) -** इस नियम का लाभ ऐसे मामलों में दय नहीं होगा जहां किसी सरकारी कर्मचारी ने अपने मूल पद के लिए संशोधित वेतनमान का चुनाव किया हो लेकिन कार्यवाहक पद के संबंध में मौजूदा वेतनमान को ही बरकरार रखा हो।

**नियम 8 -** यह नियम 01.01.2006 को या इसके बाद नई भर्ती के रूप में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की पद्धति को विनिर्दिष्ट करता है।

**नियम 9 और 10 -** इन नियमों में यह विदित है कि नए वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि किस प्रकार विनियमित की जानी चाहिए। इन नियमों के परंतुकों का उद्देश्य मूल भाग की विसंगतियों के कारण कनिष्ठ कर्मचारी अपने से वरिष्ठ कर्मचारियों से अधिक वेतन पा रहे हैं, को दूर किया जा रहा है और इसके द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों को



01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक समय के मौजूदा वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो गतिरोध के कारण मौजूदा वेतनमान में अधिकतम वेतन पा रहे हैं और जो वास्तव में तदर्थ आधार पर गतिरोध वेतनवृद्धि पा रहे हैं, का भी ध्यान रखना है।

नियम 11 से 17 - ये नियम स्वतः स्पष्ट हैं।

[फा. सं. 11/1/2008/रक्षा (सिविल-1)]

अजय टिकौ, संयुक्त सचिव (स्था. एवं लोक शिकायत निवारण)

**उदाहरण 1:** संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	4000-100-6000 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	4800 रुपए
4.	1. 86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	8928 रुपए (8930 रुपए में पूर्णांकित)
5.	वेतन बैंड पी.बी. -2 में वेतन	8930 रुपए
6.	बैंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	8930 रुपए
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	2400 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	11330 रुपए

**उदाहरण 2** चिकित्सा आधिकारिकों की संशोधित वेतन ढांचे में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	10000-15200 रुपए
2.	लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-3 15600-39100 रुपए
3.	01.01.2006 की स्थिति के अनुसार मौजूदा मूल वेतन	10000 रुपए
	वेतन पर महंगाई वेतन (डी पी ) + एन पी ए	6250 रुपए
	मूल वेतन पर 25 प्रतिशत एन पी ए + डी पी	4063 रुपए
	मूल वेतन पर 24 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता	4875 रुपए मूल वेतन का 24 प्रतिशत + डी पी
	वर्तमान परिलब्धियां	+एन पी ए 25188 रुपए (2519 रुपए पूर्णांकित)
4.	मूल वेतन पर 1. 86 गुणक द्वारा गुणा करने के पश्चात	18600 रुपए
	वेतन बैंड में संशोधित वेतन	
5.	एन पी ए पर महंगाई भत्ता	976 रुपए (4063 रुपए का 24 प्रतिशत)
6.	वेतनमान से संबद्ध वेतन बैंड में वेतन	19580 रुपए (18600 + 976 = 19576 पूर्णांकित)
7.	वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	6600 रुपए
8.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	26180 रुपए

9. संशोधित एन पी ए 6545 रुपए

**उदाहरण 3**

स्थिति 1 : -1एस में समूह 'घ' कर्मचारियों का प्रारंभिक निर्धारण

1. मौजूदा वेतनमान	2500-55-2660-60-3200 रुपए
2. लागू वेतन बैंड	-1एस 4440-7440 रुपए
3. 01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	2840 रुपए
4. 1. 86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए पूर्णांकित)
5. वेतन बैंड में वेतन	5290 रुपए
6. बचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	5290 रुपए
7. वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	1300 रुपए
8. संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	6590 रुपए

स्थिति 2 : अपेक्षित अर्हता रखने वाले अथवा पुनः प्रशिक्षण के बाद वाले समूह 'घ' कर्मचारियों का निर्धारण

1. मौजूदा वेतनमान	2500-55-2660-60-3200 रुपए
2. लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3. 01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	2840 रुपए
4. 1. 86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5282 रुपए (5290 रुपए पूर्णांकित)
5. वेतन बैंड पी.बी. -1 में वेतन	5290 रुपए
6. बचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	5530 रुपए
7. वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	1800 रुपए
8. संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	7330 रुपए

**उदाहरण 4क :** स्तरान्त पदों के मामले में वेतन निर्धारण अर्थात् 3050-75-80-4590 रुपए से 3200-85-4900 रुपए के वेतनमान में पूर्व-संशोधित वेतनमान के पद

1. मौजूदा वेतनमान	3050-4590 रुपए (1900 रुपए का सा दृश्य ग्रेड वेतन)
2. लागू वेतन बैंड	वेतन बैंड-1 5200-20200 रुपए
3. वेतन के वेतनमान में स्तरान्त	3200-4900 रुपए (सा दृश्य ग्रेड वेतन 2000 रुपए)
4. 01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	3125 रुपए

27/01/08 H

5.	1. 86 गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	5813 रुपए (5820 रुपए पूर्णांकित)
6.	वेतन बैंड पी.बी. -2 में वेतन	5820 रुपए
7.	3050-4900 रुपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान में बंचिंग, यदि लागू हो, के लाभ को जोड़ने के बाद वेतन बैंड में वेतन	6060 रुपए
8.	3200-4900 रुपए के वेतनमान से संबद्ध ग्रेड वेतन	2000 रुपए
9.	संशोधित मूल वेतन - वेतन बैंड में वेतन और ग्रेड वेतन का जोड़	8060 रुपए

**उदाहरण 4ख :** उन मामलों में, जहां 5000-8000, 5500-9000 तथा 6500-10500 रुपए के पूर्व संशोधित वेतनमानों को आमेलित किया गया है, वेतन निर्धारण

1.	मौजूदा वेतनमान	5000-150-18000
2.	लागू वेतन बैंड	पी.बी. -2 9300-34000 रुपए
3.	वेतनमान में आमेलित	6500-200-10500
4.	01.01.2006 को मौजूदा मूल वेतन	5600 रुपए
5.	1. 86 के गुणक द्वारा गुणा करने के बाद वेतन	10416 रुपए (10420 पूर्णांकित)
6.	वेतन बैंड पी बी-2 में वेतन	10420 रुपए
7.	बंचिंग के लाभ शामिल करने के बाद वेतन बैंड में वेतन	10420 रुपए
8.	6500-200-20500 रुपए में पिछले संलग्न ग्रेड वेतन	4200 रुपए
9.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन का जोड़ संशोधित वेतन	14620 रुपए

**उदाहरण 5 :** संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि देने के बाद वेतन निर्धारण

1.	वेतन बैंड-2 में वेतन	9300 रुपए
2.	ग्रेड वेतन	4200 रुपए
3.	वेतन + ग्रेड वेतन का योग	13500 रुपए
4.	वेतनवृद्धि की दर	उपर्युक्त 3 का 3 प्रतिशत
5.	वेतनवृद्धि की राशि	405 रुपए 410 रुपए पूर्णांकित
6.	वेतनवृद्धि के बाद वेतन बैंड में वेतन	9300 + 410 रुपए
7.	वेतन वृद्धि के बाद वेतन	9710 रुपए
8.	लागू ग्रेड वेतन	4200 रुपए

## MINISTRY OF DEFENCE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2008

S.R.O. 21(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely : -

1. *Short title and commencement -*

- (1) These rules may be called the Civilians in Defence Services (Revised Pay) Rules, 2008.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006.

2. *Categories of Government servants to whom the rules apply: -*

(1) Save as otherwise provided by or under these rules, these rules shall apply to persons appointed to civil services and posts in connection with the affairs of the Union whose pay is debitable to the Defence Services Estimates.

(2) These rules shall not apply to : -

- (i) persons locally recruited for service in Diplomatic, Consular or other Indian establishments in foreign countries;
- (ii) persons not in whole-time employment;
- (iii) persons paid out of contingencies;
- (iv) persons paid otherwise than on a monthly basis including those paid only on a piece-rate basis;
- (v) persons employed on contract except where the contract provides otherwise;
- (vi) persons re-employed in Government service after retirement;
- (vii) any other class or category of persons whom the President may, by order, specifically exclude from the operation of all or any of the provisions contained in these rules.

3. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires -

- (1) “existing basic pay” means pay drawn in the prescribed existing scale of pay, including stagnation increment(s), but does not include any other type of pay like ‘special pay’, etc.
- (2) “existing scale” in relation to a Government servant means the present scale applicable to the post held by the Government servant (or, as the case may be, personal scale applicable to him) as on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 whether in a substantive or officiating capacity.

**Explanation-** In the case of a Government servant, who was on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, “existing scale” includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating in a higher post;

- (3) “existing emoluments” mean the sum of (i) existing basic pay, (ii) dearness pay appropriate to the basic pay and (iii) dearness allowance appropriate to the basic pay + dearness pay at index average 536 (1982=100).
- (4) “present scale” in relation to any post/grade specified in column 2 of the First Schedule means the scale of pay specified against that post in column 3 thereof;
- (5) “pay in the pay band” means pay drawn in the running pay bands specified in Column 5 of the First Schedule.
- (6) “grade pay” is the fixed amount corresponding to the pre-revised pay scales/posts.
- (7) “revised pay structure” in relation to any post specified in column 2 of the First Schedule means the pay band and grade pay specified against that post or the pay scale specified in column 5 & 6 thereof, unless a different revised pay band and grade pay or pay scale is notified separately for that post.
- (8) “basic pay” in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay, etc.

In the case of Government servants in the pay scales of HAG+, apex scale and the Cabinet Secretary’s scale, basic pay means the pay in the prescribed scale.



- (9) "revised emoluments" means the pay in the pay band plus the grade pay of a Government servant in the revised pay structure or the basic pay in HAG+ & above and includes the revised non-practising allowance, if any, admissible to him, in addition.
- (10) "Schedule" means a schedule annexed to these rules.

4. *Scale of pay of posts* - The pay band and grade pay or the pay scale, as applicable, of every post/grade specified in column 2 of the First Schedule shall be as specified against it in column 5 & 6 thereof.

5. *Drawal of pay in the revised pay structure* - Save as otherwise provided in these rules, a Government servant shall draw pay in the revised pay structure applicable to the post to which he is appointed;

Provided that a Government servant may elect to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale.

Provided further that in cases where a Government servant has been placed in a higher pay scale between 1.1.2006 and the date of notification of these Rules on account of promotion, upgradation of pay scale etc., the Government servant may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion, upgradation, etc.

*Explanation 1* - The option to retain the existing scale under the provisos to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.

*Explanation 2* - The aforesaid option shall not be admissible to any person appointed to a post on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, whether for the first time in Government service or by transfer from another post and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

*Explanation 3* - Where a Government servant exercises the option under the provisos to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that scale under Fundamental Rule 22, or any other rule or order applicable to that post, his substantive pay shall be substantive pay which he would have drawn had he retained the existing scale in respect of the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force, whichever is higher.

6. *Exercise of Option -*

- (1) The option under the provisos to Rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to the Second Schedule so as to reach the authority mentioned in sub rule (2) within three months of the date of publication of these rules or where an existing scale has been revised by any order made subsequent to that date, within three months of the date of such order.

Provided that -

- (i) in the case of a Government servant who is, on the date of such publication or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the said authority within three months of the date of his taking charge of his post in India; and
- (ii) where a Government servant is under suspension on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, the option may be exercised within three months of the date of his return to his duty if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.
- (2) The option shall be intimated by the Government servant to the Head of his Office.
- (3) If the intimation regarding option is not received within the time mentioned in sub-rule (1), the Government servant shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2006.
- (4) The option once exercised shall be final.

*Note 1 -* Persons whose services were terminated on or after the 1<sup>st</sup> January, 2006 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned posts, resignation, dismissal or discharge or disciplinary grounds, are entitled to the benefits of this rule.

*Note 2 -* Persons who have died on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 and could not exercise the option within the prescribed time limit are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 or such later date as is most beneficial to their dependents, if the revised pay structure is more favourable and in such cases, necessary action for payment of arrears should be taken by the Head of Office.

*Note 3 -* Persons who were on earned leave or any other leave on 1.1.2006 which entitled them to leave salary will be allowed the benefits of this rule.

7. *Fixation of initial pay in the revised pay structure:*

- (1) The initial pay of a Government servant who elects, or is deemed to have elected under sub-rule (3) of rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, shall, unless in any case the President by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely :-

## (A) in the case of all employees:-

- (i) the pay in the pay band/pay scale will be determined by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10.
- (ii) if the minimum of the revised pay band/ pay scale is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band/pay scale;

## Provided further that:-

Where, in the fixation of pay, the pay of Government servants drawing pay at two or more consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised pay structure at the same stage in the pay band, then, for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running pay bands. For this purpose, the increment will be calculated on the pay in the pay band. Grade pay would not be taken into account for the purpose of granting increments to alleviate bunching.

In the case of pay scales in higher administrative grade (HAG) in the pay band PB-4, benefit of increments due to bunching shall be given taking into account all the stages in different pay scales in this grade. In the case of HAG+ scale, benefit of one increment for every two stages in the pre-revised scale will be granted in the revised pay scale.

If by stepping up of the pay as above, the pay of a Government servant gets fixed at a stage in the revised pay band/ pay scale (where applicable) which is higher than the stage in the revised pay band at which the pay of a Government servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped

up only to the extent by which it falls short of that of the former.

- (iii) The pay in the pay band will be determined in the above manner. In addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the existing scale will be payable.

*Note - Illustration 1* on the above is provided in the Explanatory Memorandum to these Rules.

- (B) In the case of employees who are in receipt of special pay/allowance in addition to pay in the existing scale which has been recommended for replacement by a pay band and grade pay without any special pay/allowance, pay shall be fixed in the revised pay structure in accordance with the provisions of clause (A) above.
- (C) In the case of employees who are in receipt of special pay component with any other nomenclature in addition to pay in the existing scales, such as personal pay for promoting small family norms, special pay to Parliament Assistants, Central (Deputation on Tenure) Allowance, etc., and in whose case the same has been replaced in the revised pay structure with corresponding allowance/pay at the same rate or at a different rate, the pay in the revised pay structure shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) above. In such cases, the allowance at the new rate as recommended shall be drawn in addition to pay in the revised pay structure from the date specified in the individual notifications related to these allowances.
- (D) In the case of medical officers who are in receipt of non-practising allowance, the pay in the revised pay structure shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) above except that, in such cases, the pre-revised dearness allowance appropriate to the non-practising allowance admissible at index average 536 (1982 = 100) shall be added while fixing the pay in the revised pay band, and in such cases, non-practising allowance at the new rates shall be drawn with effect from 1.1.2006 or the date of option for revised pay structure, in addition to the pay so fixed in the revised pay structure. *Illustration 2* in this regard is at in the Explanatory Memorandum to these Rules.

*Note 1 -* (a) In the case of Group D employees, the pay in the revised pay structure will be fixed initially in the -1S pay band as per Clause (A) above with the appropriate grade pay and arrears paid accordingly. Thereafter, pay of such of those Group D employees who already possess the revised minimum qualifications recommended by the Commission prescribed for entry into PB-1 would be fixed with effect from 1.1.2006 in PB-1 with grade pay of Rs.1800.

(b) Such of those existing Group D employees who do not possess the revised minimum qualifications for entry into PB-1 would be retrained by the concerned Department preferably within a period of six months so that



payment of arrears on account of upgradation are not delayed. After re-training, these Group D staff will also be placed in the Pay Band PB-1 with the grade pay of Rs.1800 with effect from 1.1.2006 and arrears drawn accordingly. Once placed in the PB-1 Pay Band, this category of Group D staff will regain their seniority vis-à-vis the other category of Group D staff that already possessed the minimum qualifications and were, therefore, placed in the PB-1 Pay Band as on 1.1.2006. Inter-se seniority of all the employees in erstwhile Group D will be fully maintained with Group D employee in a higher pre-revised pay scale being placed higher vis-à-vis an employee in a lower pay scale. Within the same pre-revised pay scale, seniority which existed prior to revision would continue.

(c) Arrears shall be payable with effect from 1.1.2006 in both the cases i.e. to those Group D employees who possess the qualifications and are placed in PB-1 straight away and those Group D employees who do not possess the qualifications and are placed after re-training. *Illustration 3* in regard to fixation of pay for Group D staff is in the Explanatory Memorandum to these Rules.

*Note 2A* - Where a post has been upgraded as a result of the recommendations of the Sixth CPC as indicated in Part B or Part C of the First Schedule to these Rules, the fixation of pay in the applicable pay band will be done in the manner prescribed in accordance with Clause (A) (i) and (ii) of Rule 7 by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding the resultant figure to the next multiple of ten. The grade pay corresponding to the upgraded scale as indicated in Column 6 of Part B or C will be payable in addition. *Illustration 4A* in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules.

*Note 2B* - In case of merger of pay scales, pay in the revised pay bands will be fixed in the manner prescribed in accordance with Clause (A) (i) and (ii) of Rule 7 by multiplying the existing basic pay as on 1.1.2006 by a factor of 1.86 and rounding the resultant figure to the next multiple of ten. The grade pay corresponding to the merged scale as indicated in Column 6 of Part B or C will be payable in addition. *Illustration 4B* in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules.

*Note 3* - A Government servant who is on leave on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from 1.1.2006 or the date of option for the revised pay structure. Similarly, where a government servant is on study leave on the first day of January, 2006 he will be entitled to the benefits under these Rules from 1.1.2006 or the date of option.

*Note 4* - A Government servant under suspension, shall continue to draw subsistence allowance based on existing scale of pay and his pay in the revised pay structure will be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

338042/08-5



*Note 5* - Where a Government servant is holding a permanent post and is officiating in a higher post on a regular basis and the scales applicable to these two posts are merged into one scale, the pay shall be fixed under this sub-rule with reference to the officiating post only, and the pay so fixed shall be treated as substantive pay.

The provisions of this Note shall apply mutatis mutandis, to Government servants holding in an officiating capacity, posts on different existing scales which have been replaced by the revised pay structure.

*Note 6* - Where the 'existing emoluments' exceed the revised emoluments in the case of any Government servant, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

*Note 7* - Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Government servant, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped upto the same stage in the revised pay band as that of the junior.

*Note 8* - Where a Government servant is in receipt of personal pay on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, which together with his existing emoluments exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such Government servant as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

*Note 9* - In the case of employees who are in receipt of personal pay for passing Hindi Pragya, Hindi Typewriting, Hindi Shorthand and such other examinations under the "Hindi Teaching Scheme", or on successfully undergoing training in cash and accounts matters prior to the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, while the personal pay shall not be taken into account for purposes of fixation of initial pay in the revised pay structure, they would continue to draw personal pay after fixation of their pay in the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 or subsequently for the period for which they would have drawn it but for the fixation of their pay in the revised pay structure. The quantum of such personal pay would be paid at the appropriate rate of increment in the revised pay structure from the date of fixation of pay for the period for which the employee would have continued to draw it.

*Explanation* - For the purpose of this Note, "appropriate rate of increment in the revised pay structure" means 3% of the sum of the pay in the pay band and the grade pay at the stage at which the pay of the employee is fixed in the revised pay structure.

*Note 10* - In cases where a senior Government servant promoted to a higher post before the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the

1<sup>st</sup> day of January, 2006, the pay in the pay band of the senior Government servant should be stepped up to an amount equal to the pay in the pay band as fixed for his junior in that higher post. The stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior Government servant subject to the fulfillment of the following conditions, namely: -

- (a) both the junior and the senior Government servants should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre.
  - (b) the pre-revised scale of pay and the revised grade pay of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical.
  - (c) the senior Government servants at the time of promotion should have been drawing equal or more pay than the junior.
  - (d) the anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of Fundamental Rule 22 or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure. If even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, provision of this Note need not be invoked to step up the pay of the senior officer.
- (2) Subject to the provisions of rule 5, if the pay as fixed in the officiating post under sub-rule (1) is lower than the pay fixed in the substantive post, the former shall be fixed at the same stage as the substantive pay.

8. *Fixation of pay in the revised pay structure of employees appointed as fresh recruits on or after 1.1.2006* – Section II of Part A of the First Schedule of these Rules indicates the entry level pay in the pay band at which the pay of direct recruits to a particular post carrying a specific grade pay will be fixed on or after 1.1.2006.

This will also be applied in the case of those recruited between 1.1.2006 and the date of issue of this Notification. In such cases, where the emoluments in the pre-revised pay scale(s) [i.e., basic pay in the pre-revised pay scale(s) plus Dearness Pay plus Dearness Allowance applicable on the date of joining] exceeds the sum of the pay fixed in the revised pay structure and the applicable dearness allowance thereon, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increments in pay.

9. *Rate of increment in the revised pay structure* – The rate of increment in the revised pay structure will be 3% of the sum of the pay in the pay band and grade pay applicable, which will be rounded off to the next multiple of 10. The amount of increment will be added to the existing pay in the pay band. *Illustration 5* in this regard is in the Explanatory Memorandum to these Rules. In the case of PB-3, variable rates of increment at 3% and 4% have been provided. The higher rate of increment will be granted to not more than 20% of the strength of officers in PB-3.

10. *Date of next increment in the revised pay structure* - There will be a uniform date of annual increment, viz. 1<sup>st</sup> July of every year. Employees completing 6 months and above in the revised pay structure as on 1<sup>st</sup> of July will be eligible to be granted the increment. The first increment after fixation of pay on 1.1.2006 in the revised pay structure will be granted on 1.7.2006 for those employees for whom the date of next increment was between 1<sup>st</sup> July, 2006 to 1<sup>st</sup> January, 2007.

Provided that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, the next increment in the revised pay structure shall be allowed on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006. Thereafter, the provision of Rule 10 would apply.

Provided that in cases where an employee reaches the maximum of his pay band, shall be placed in the next higher pay band after one year of reaching such a maximum. At the time of placement in the higher pay band, benefit of one increment will be provided. Thereafter, he will continue to move in the higher pay band till his pay in the pay band reaches the maximum of PB-4, after which no further increments will be granted.

*Note 1* - In cases where two existing scales, one being a promotional scale for the other, are merged, and the junior Government servant, now drawing his pay at equal or lower stage in the lower scale of pay, happens to draw more pay in the pay band in the revised pay structure than the pay of the senior Government servant in the existing higher scale, the pay in the pay band of the senior government servant shall be stepped up to that of his junior from the same date and he shall draw next increment in accordance with Rule 10.

11. *Fixation of pay in the revised pay structure subsequent to the 1<sup>st</sup> day of January, 2006.* - Where a Government servant continues to draw his pay in the existing scale and is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the following manner:-

- (i) Pay in the pay band will be fixed by adding the basic pay applicable on the later date, the dearness pay applicable on that date and the pre-revised dearness allowance based on rates applicable as on 1.1.2006. This figure will be rounded off to the next multiple of 10 and will then become the pay in the applicable pay band. In addition to this, the grade pay corresponding to the pre-revised pay scale will be payable. Where the Government servant is in receipt of special pay or non-practising allowance, the methodology followed will be as prescribed in Rule 7 (i), (B), (C) or (D) as applicable, except that the basic pay and dearness pay to be taken into account will be the basic pay and dearness pay applicable as on that date but dearness allowance will be calculated as per rates applicable on 1.1.2006.

12. *Fixation of pay on reappointment after the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 to a post held prior to that date* - A Government servant who had officiated in a post

prior to the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 but was not holding that post on that date and who on subsequent appointment to that post draws pay in the revised pay structure shall be allowed the benefit of the proviso to Fundamental Rule 22, to the extent it would have been admissible had he been holding that post on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, and had elected the revised pay structure on and from that date.

13. *Fixation of pay on promotion on or after 1.1.2006* – In the case of promotion from one grade pay to another in the revised pay structure, the fixation will be done as follows:-

- (i) One increment equal to 3% of the sum of the pay in the pay band and the existing grade pay will be computed and rounded off to the next multiple of 10. This will be added to the existing pay in the pay band. The grade pay corresponding to the promotion post will thereafter be granted in addition to this pay in the pay band. In cases where promotion involves change in the pay band also, the same methodology will be followed. However, if the pay in the pay band after adding the increment is less than the minimum of the higher pay band to which promotion is taking place, pay in the pay band will be stepped to such minimum.
- (ii) In the case of promotion from PB-4 to HAG+, after adding one increment in the manner prescribed in Rule 9, the pay in the pay band and existing grade pay will be added and the resultant figure will become the basic pay in HAG+. This shall not exceed Rs. 80,000, the maximum of the scale. For Government servants in receipt of NPA, pay plus NPA will not exceed Rs. 85,000.

14. *Mode of payment of arrears of pay* - The arrears shall be paid in cash in two instalments. The first instalment should be restricted to 40% of the total arrears. The remaining 60% of arrears should be paid during the next financial year.

*Explanation* - For the purposes of this rule:

- (a) "arrears of pay" in relation to a Government servant, means the difference between:
  - (i) the aggregate of the pay and allowances to which he is entitled on account of the revision of his pay and allowances under these rules, for the relevant period. Revised allowances (except for dearness allowance and non-practising allowance) will be payable only with effect from 1.9.2008; and
  - (ii) the aggregate of the pay and allowances to which he would have been entitled (whether such pay and allowances had been received or not) for that period had his pay and allowances not been so revised.
- (b) "relevant period" means the period commencing on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 and ending with the 31<sup>st</sup> August, 2008.



15. **Overriding effect of Rules** - The provisions of the Fundamental rules, the Civilians in Defence Services (Revision of Pay) Rules, 1947, the Civilians in Defence Services (Revised Pay) Rules, 1960, the Civilians in Defence Services (Revised Pay) Rules, 1973, the Civilians in Defence Services (Revised Pay) Rules, 1986 and the Civilians in Defence Services (Revised Pay) Rules, 1997 shall not, save as otherwise provided in these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules.

16. **Power to relax** - Where the President is satisfied that the operation of all or any of the provisions of these rules causes undue hardship in any particular case, he may, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

17. **Interpretation** - If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

**THE FIRST SCHEDULE**  
(SEE RULES 3 & 4)

**PART - A**  
**Section I**

Revised Pay Bands and Grade Pays for posts carrying present scales in Group 'A', 'B', 'C' & 'D' except posts for which different revised scales are notified separately.

(In Rs.)

Sl. No.	Post/Grade	Present Scale	Revised Pay Structure		
			Name of Pay Band/Scale	Corresponding Pay Bands/Scales	Corresponding Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	S-1	2550-55-2660-60-3200	-1S	4440-7440	1300
2	S-2	2610-60-3150-65-3540	-1S	4440-7440	1400
3	S-2A	2610-60-2910-65-3300-70-4000	-1S	4440-7440	1600
4	S-3	2650-65-3300-70-4000	-1S	4440-7440	1650
5	S-4	2750-70-3800-75-4400	PB-1	5200-20200	1800
6	S-5	3050-75-3950-80-4590	PB-1	5200-20200	1900
7	S-6	3200-85-4900	PB-1	5200-20200	2000
8	S-7	4000-100-6000	PB-1	5200-20200	2400
9	S-8	4500-125-7000	PB-1	5200-20200	2800
10	S-9	5000-150-8000	PB-2	9300-34800	4200
11	S-10	5500-175-9000	PB-2	9300-34800	4200
12	S-11	6500-200-6900	PB-2	9300-34800	4200
13	S-12	6500-200-10500	PB-2	9300-34800	4200
14	S-13	7450-225-11500	PB-2	9300-34800	4600
15	S-14	7500-250-12000	PB-2	9300-34800	4800
16	S-15	8000-275-13500	PB-2	9300-34800	5400
17	New Scale	8000-275-13500 (Group A Entry)	PB-3	15600-39100	5400



18	S-16	9000	PB-3	15600-39100	5400
19	S-17	9000-275-9550	PB-3	15600-39100	5400
20	S-18	10325-325-10975	PB-3	15600-39100	6600
21	S-19	10000-325-15200	PB-3	15600-39100	6600
22	S-20	10650-325-15850	PB-3	15600-39100	6600
23	S-21	12000-375-16500	PB-3	15600-39100	7600
24	S-22	12750-375-16500	PB-3	15600-39100	7600
25	S-23	12000-375-18000	PB-3	15600-39100	7600
26	S-24	14300-400-18300	PB-4	37400-67000	8700
27	S-25	15100-400-18300	PB-4	37400-67000	8700
28	S-26	16400-450-20000	PB-4	37400-67000	8900
29	S-27	16400-450-20900	PB-4	37400-67000	8900
30	S-28	14300-450-22400	PB-4	37400-67000	10000
31	S-29	18400-500-22400	PB-4	37400-67000	10000
32	S-30	22400-525-24500	PB-4	37400-67000	12000
33	S-31	22400-600-26000	HAG+ Scale	75500- (annual increment @ 3%) -80000	Nil
34	S-32	24050-650-26000	HAG+ Scale	75500- (annual increment @ 3%) -80000	Nil
35	S-33	26000 (Fixed)	Apex Scale	80000 (Fixed)	Nil
36	S-34	30000 (Fixed)	Cab. Sec.	90000 (Fixed)	Nil

## Section II

Entry Pay in the revised pay structure for direct recruits appointed on or after 1.1.2006

## PB-1 (Rs.5200-20200)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
1,800	5,200	7,000
1,900	5,830	7,730
2,000	6,460	8,460
2,400	7,510	9,910
2,800	8,560	11,360

## PB-2 (Rs.9300-34800)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
4,200	9,300	13,500
4,600	12,540	17,140
4,800	13,350	18,150

## PB-3 (Rs.15600-39100)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
5,400	15,600	21,000
6,600	18,750	25,350
7,600	21,900	29,500

## PB-4 (Rs.37400-67000)

Grade pay	Pay in the Pay Band	Total
8,700	37,400	46,100
8,900	40,200	49,100
10,000	43,000	53,000
12,000	47,100	59,100

## PART - B

## REVISED PAY SCALES FOR CERTAIN COMMON CATEGORIES OF STAFF

## Section I

- (i) The revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column (2) have been approved by the Government. The initial fixation as on 1.1.2006 will be done in accordance with Note 2 below Rule 7 of this Notification.
- (ii) On account of merger of pre-revised pay scales of Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500, some posts which presently constitute feeder and promotion grades will come to lie in an identical grade. The specific recommendations about some categories of these posts made by the Pay Commission are included Section II of Part B. As regards other posts, the posts in these three scales should be merged. In case it is not feasible to merge the posts in these pay scales on functional considerations, the posts in the scale of Rs.5000-8000 and Rs.5500-9000 should be merged, with the post in the scale of Rs.6500-10500 being upgraded to the next higher grade in pay band PB-2 i.e. to the grade pay of Rs.4600 corresponding to the pre-revised pay scale of Rs.7450-11500. In case a post already exists in the scale of Rs.7450-11500, the post being upgraded from the scale of Rs.6500-10500 should be merged with the post in the scale of Rs.7450-11500.
- (iii) Posts in the scale of Rs.6500-10500 carrying minimum qualification of either Degree in Engineering or a Degree in Law should also be upgraded and placed in the scale of Rs.7450-11500 corresponding to the revised pay band PB-2 of Rs.9300-34800 along with grade pay of Rs.4600.
- (iv) Posts of scientific staff in the scale of Rs.6500-10500 carrying minimum qualification of engineering degree or a post-graduate degree should also be upgraded and placed in the scale of Rs.7450-11500 corresponding to the revised pay band PB-2 of Rs.9300-34800 along with grade pay of Rs.4600
- (v) Upgradation as in (ii) above may be done in consultation with Ministry of Defence and Department of Expenditure, Ministry of Finance. Regarding (iii) and (iv) above, upgradation may be done by the Ministry of Defence in consultation with their Integrated Finance.

## Section II

(In Rupees)

Sl. No.	Post	Present scale	Revised Pay Scale	Corresponding Pay Band & Grade Pay		Para No. of the Report
				Pay Band	Grade Pay	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>I OFFICE STAFF IN THE SECRETARIAT*</b>						
1	Section Officer/PS/ equivalent	6500-10500	7500-12000 8000-13500 (on completion of four years)	PB-2 PB-3	4800 5400 (on completion of 4 years)	3.1.9 (Modified by Govt.)
* This scale shall be available only in such of those organizations/services which have had a historical parity with CSS/CSSS. Services like AFHQSS/AFHQSSS/RBSS and Ministerial/Secretarial posts in Ministries/Departmentis organisations like MEA, Ministry of Parliamentary Affairs, CVC, UPSC, etc. would therefore be covered.						
<b>II OFFICE STAFF WORKING IN ORGANISATIONS OUTSIDE THE SECRETARIAT</b>						
1	Head Clerk/ Assistants/ Steno Gr.II/ equivalent	4500-7000 5000-8000	6500-10500	PB-2	4200	3.1.14
2	Administrative Officer Grade II/ Sr. Private Secretary/ equivalent	7500-12000	7500-12000 (entry grade for fresh recruits) 8000-13500 (on completion of four years)	PB-2	4800 5400 (on completion of 4 years)	3.1.14
<b>III ACCOUNTS STAFF BELONGING TO UN-ORGANIZED ACCOUNTS CADRES</b>						3.8.5
The existing relativity between the accounts related posts outside organized accounts cadres and ministerial posts will be maintained and the accounts staff belonging to unorganized Accounts cadres shall be extended the corresponding replacement Pay Band and grade pay.						

3380 48/08-6

IV ARTISTS						
1	Senior Artist	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	3.8.6
V CANTEEN STAFF						
1.	Posts of Canteen Staff in the pre-revised Group 'D' pay scales	All the posts of canteen staff in Group 'D' will be placed in the revised Pay Band PB-1 along with grade pay of Rs.1800 once the staff occupying these posts is suitably retrained and made multi-skilled.				3.8.7
VI DRAWING OFFICE STAFF						
1	Chief Draughtsman	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	3.8.9
VII ELECTRONIC DATA PROCESSING (EDP) STAFF						
1	Data Processing Assistant	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	3.8.11
VIII FIRE FIGHTING STAFF						
1	Firemen	2610-3540	3050-4590	PB-1	1900	3.8.12
2	Leading Fireman	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	
3	Station Officer	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	
4	Asstt. Divisional Fire Officer	5000-8000	6500-10500	PB-2	4200	
5	Deputy Divisional Fire Officer	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	
IX LIBRARY STAFF						
1	Posts of Library Attendant Grade II and I shall stand merged and placed in the revised pay band PB-1 along with grade pay of Rs.1800 after their skills are suitably enhanced.					3.8.13
2	Asstt. Library Information Officer	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	
X LABORATORY STAFF						
1	All posts of Laboratory Staff in the pre-revised Group 'D' pay scales (commonly designated as Laboratory Attendants Grade I, II & III) shall be placed in the revised Pay Band PB-1 along with Grade Pay of Rs.1800 after their skills are suitably enhanced.					3.8.14
2	Laboratory Technician Gr.I	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	
XI NURSING & PARAMEDICAL STAFF						
1	Staff Nurse	5000-8000	7450-11500	PB-2	4600	3.8.15
2	Nursing Sister	5500-9000	7500-12000	PB-2	4800	

3	Dietician Gr.II/ Lecturer in PT/OT/ Radiographer	6500-10500	7450- 11500	PB-2	4600	
4	Asstt. Nursing Superintendent	6500-10500	8000- 13500	PB-3	5400	
5	Deputy Nursing Superintendent	7500-12000	8000- 13500	PB-3	5400	
6	Nursing Superintendent	8000-13500	10000- 15200	PB-3	6600	
7	Chief Nursing Officer	10000- 15200	12000- 16500	PB-3	7600	
<b>XII PHOTOGRAPHERS</b>						
1	Photography Attendant Gr.II/ any other post in the pre-revised Group 'D' scale	2650-4000/ any other scale in the pre-revised Group 'D' scale		PB-1	1800	3.8.16
2	Chief Cinematograp her/ equivalent	6500- 10500	7450-11500	PB-2	4600	
<b>XIII PRINTING STAFF</b>						
1	Posts of printing staff in the pre-revised pay scales of Rs 6500-10500		7450-11500	PB-2	4600	3.8.18
<b>XIV RECEPTIONISTS</b>						
1	Various posts of Receptionists to be merged with the clerical cadre in the corresponding pay band and grade pay. In case no corresponding grade pay exists in the clerical cadre, the merger should be made in the immediate higher grade pay available in the clerical cadre.					3.8.19
<b>XV STOREKEEPING STAFF</b>						
1	Senior Store Keeper Gr. II (To be extended to all analogous posts of Storekeeping staff irrespective of designation)	6500- 10500	7450-11500	PB-2	4600	3.8.20

3380 GJ/08-7



XVI		TEACHERS				
1	Primary School Teacher	Grade III 4500-7000	Grade III 6500-10500	PB-2	4200	3.8.22
		Grade II 5500-9000	Grade II 7450-11500	PB-2	4600	
		Grade I 6500-10500	Grade I 7500-12000	PB-2	4800	
2	Trained Graduate Teacher	Grade III 5500-9000	Grade III 7450-11500	PB-2	4600	
		Grade II 6500-10500	Grade II 7500-12000	PB-2	4800	
		Grade I 7500-12000	Grade I 8000-13500	PB-2	5400	
3	Post Graduate Teacher	Grade III 6500-10500	Grade III 7500-12000	PB-2	4800	
		Grade II 7500-12000	Grade II 8000-13500	PB-3	5400	
		Grade I 8000-13500	Grade I 10000-15200	PB-3	6600	
4	Vice Principal	Grade II 7500-12000	Grade II 8000-13500	PB-3	5400	
		Grade I 8000-13500	Grade I 10000-15200	PB-3	6600	
5	Principal	10000-15200	12000-16500	PB-3	7600	3.8.22
6.	Education Officer/ Assistant Director of Education #	10000-15200	12000-16500	PB-3	7600	3.8.24
# Posts of Education Officer/Assistant Director of Education stand merged with the post of Deputy Director of Education.						

XVII VETERINARIANS						
1	Group 'D' posts of Para Veterinary Attendants	All Group 'D' posts of Para Veterinary Attendants/Compounder are to be placed in the revised pay band PB-1 along with grade pay of Rs.1800 after they are retrained suitably.				
2	All Para Veterinary staff in the pre-revised scale of Rs.6500-10500	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	3.8.25
3	Veterinary Officers	Veterinary Officers requiring a degree of B.V.Sc & AH along with registration in the Veterinary Council of India are to be placed on par with General Duty Medical Officers and Dental Doctors.				
XVIII WORKSHOP STAFF						
1	Unskilled	2550-3200	2750-4400	PB-1	1800	3.8.27
2	Semi Skilled	2650-4000	2750-4400	PB-1	1800 *	
3	Asstt. Shop Superintendent \$ / Dy. Shop Superintendent/ Asstt. Foreman	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	3.8.29
* Grades of existing unskilled and semi-skilled workers stand merged. \$ The grades of Asstt. Shop Superintendent/equivalent and Shop Superintendent/ equivalent stand merged.						
XIX ORGANISED ACCOUNTS CADRES*						
1	Section Officer	6500-10500	7500-12000	PB-2	4800	7.56.9
2	Assistant Accounts/Audit Officer	7450-11500	7500-12000	PB-2	4800	7.56.9
3	Audit/Accounts Officer	7500-12000	8000-13500	PB-2	5400	7.56.9
4	Senior Audit / Accounts Officer	8000-13500	8000-13500	PB-3	5400	7.56.9
*Also applicable to employees of Indian Audit & Accounts Department						



**PART – C****REVISED PAY STRUCTURE FOR CERTAIN POSTS IN  
ESTABLISHMENTS UNDER MINISTRY OF DEFENCE****Section I**

- (i) The revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column (2) have been approved by the Government. The initial fixation as on 1.1.2006 will be done in accordance with Note 2 below Rule 7 of this Notification.
- (ii) On account of merger of pre-revised pay scales of Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500, some posts which presently constitute feeder and promotion grades will come to lie in an identical grade. The specific recommendations about some categories of these posts made by the Pay Commission are included Section II of Part C. As regards other posts, the posts in these three scales should be merged. In case it is not feasible to merge the posts in these pay scales on functional considerations, the posts in the scale of Rs.5000-8000 and Rs.5500-9000 should be merged, with the post in the scale of Rs.6500-10500 being upgraded to the next higher grade in pay band PB-2 i.e. to the grade pay of Rs.4600 corresponding to the pre-revised pay scale of Rs.7450-11500. In case a post already exists in the scale of Rs.7450-11500, the post being upgraded from the scale of Rs.6500-10500 should be merged with the post in the scale of Rs.7450-11500.
- (iii) Posts in the scale of Rs.6500-10500 carrying minimum qualification of either Degree in Engineering or a Degree in Law should also be upgraded and placed in the scale of Rs.7450-11500 corresponding to the revised pay band PB-2 of Rs.9300-34800 along with grade pay of Rs.4600.
- (iv) Posts of scientific staff in the scale of Rs.6500-10500 carrying minimum qualification of engineering degree or a post-graduate degree should also be upgraded and placed in the scale of Rs.7450-11500 corresponding to the revised pay band PB-2 of Rs.9300-34800 along with grade pay of Rs.4600.
- (v) Upgradation as in (ii) above may be done in consultation with Ministry of Defence and Department of Expenditure, Ministry of Finance. Regarding (iii) and (iv) above, upgradation may be done by Ministry of Defence in consultation with their Integrated Finance.

## Section II

The revised pay structure mentioned in Column (5) and (6) of this part of the Notification for the posts mentioned in Column 2 have been approved by the Government.

(In Rupees)

Sl. No.	Post	Present scale	Revised Pay Scale	Corresponding Pay Band & Grade Pay		Para No. of the Report
				Pay Band	Grade Pay	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>MINISTRY OF DEFENCE</b>						
<b>Department of Defence</b>						
1	Machineman/Operator Offset	4500-7000	5000-8000	PB-2	4200	7.10.17
2	Assistant Master in Military Schools	5500-9000	7450-11500	PB-2	4600	7.10.21
3	Master Gazetted in Military Schools	7500-12000	8000-13500	PB-3	5400	7.10.21
<b>Coast Guard Organisation (General Duty Branch)</b>						
4	Navik	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.10.26
5	Uttam Navik	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.10.26
6	Pradhan Navik	3200-4900 + spl.pay Rs.50	4500-7000	PB-1	2800	7.10.26
7	Uttam Adhikari	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10.26
8	Pradhan Adhikari	6500-10500+ spl. Pay of Rs.200	7500-12000	PB-2	4800	7.10.26
<b>Coast Guard Organisation (Domestic Branch)</b>						
9	Navik	2750-4400	3050-4590	PB-1	1900	7.10.26
10	Uttam Navik	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.10.26
11	Pradhan Navik	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.10.26
12	Pradhan Adhikari	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10.26
<b>Coast Guard Organisation (Aviation Branch)</b>						
13	Navik	3050-4590	3200-4900	PB-1	2000	7.10.26
14	Uttam Navik	3200-4900	4000-6000	PB-1	2400	7.10.26

338061/08-8



15	Pradhan Navik	4000-6000	4500-7000	PB-1	2800	7.10.26
16	Uttam Adhikari	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10.26
17	Pradhan Adhikari	6500-10500+Spl. Pay of Rs.200	7500-12000	PB-2	4800	7.10.26
<b>Coast Guard Organisation (Technical Branch)</b>						
18	Uttam Engineer	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10.26
19	Pradhan Engineer	7450-11500	7500-12000	PB-2	4800	7.10.26
<b>Department of Defence Production</b>						
20	Assistant Accounts Officer in DGQA	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10.33
<b>Department of Defence Research and Development</b>						
21	Examiner Grade 1 in Defence Institute of Psychological Research	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10.35
22	Senior Technical Assistant in DRDO	6500-10500	7450-11500	PB-2	4600	7.10.39

**THE SECOND SCHEDULE****Form of Option**

[See Rule \_\_\_\_]

\* (i) I \_\_\_\_\_ hereby elect the revised pay structure with effect from 1<sup>st</sup> January, 2006.

\* (ii) I \_\_\_\_\_ hereby elect to continue on the existing scale of pay of my substantive/officiating post mentioned below until:

\* the date of my next increment

The date of my subsequent increment raising my pay to Rs.

I vacate or cease to draw pay in the existing scale.

The date of my promotion to \_\_\_\_\_

Existing Scale \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Designation \_\_\_\_\_

Office in which employed \_\_\_\_\_

Date:

Station:

\* To be scored out, if not applicable.

**MEMORANDUM EXPLANATORY TO THE CIVILIANS IN DEFENCE  
SERVICES (REVISED PAY ) RULES , 2008**

Rule 1 - This rule is self-explanatory.

Rule 2 - This rule lays down the categories of employees to whom the rules apply. Except for the categories excluded under clause (2), the rules are applicable to all persons under the rule making control of the President serving in Departments paid from Defence Services Estimates. The rules, however, apply to work charged establishments.

Rule 3 & 4 - These rules are self-explanatory.

Rule 5 - The intention is that all Government servants should be brought over to the revised pay structure except those who elect to draw pay in the existing scales. Those who exercise the option to continue on the existing scales of pay will continue to draw the dearness allowance at the rates in force on the 1<sup>st</sup> January, 2006 and the dearness allowance will count towards the emoluments for pension, etc. to the extent it so counted on the said date. If a Government servant is holding a permanent post in a substantive capacity and officiating in a higher post, or would have officiated in one or more posts but for his being on deputation etc., he has the option to retain the existing scale only in respect of one scale. Such a Government servant may retain the existing scale applicable to a permanent post or any one of the officiating posts. In respect of the remaining posts he will necessarily have to be brought over to the revised pay structure.

Rule 6 - This rule prescribes the manner in which option has to be exercised and also the authority who should be apprised of such option. The option has to be exercised in the appropriate form appended to the rules. It should be noted that it is not sufficient for a Government servant to exercise the option within the specified time limit but also to ensure that it reaches the prescribed authority within the time limit. In the case of persons who are outside India at the time these rules are promulgated, the period within which the option has to be exercised is three months from the date they take over charge of the post in India. In the case of Government servants the revised pay structure of whose posts are announced subsequent to the date of issue of these rules, the period of three months will run from the date of such announcement.

Persons who have retired between 1<sup>st</sup> January 2006 and the date of issue of these rules are also eligible to exercise option.

Rule 7(1) - This rule deals with the actual fixation of pay in the existing scales on 1<sup>st</sup> January, 2006. A few illustrations indicating the manner in which pay of Government servants should be fixed under this sub-rule subject to stepping up of pay under Notes below rule 7(1) are given in the attached Annexure.

Rule 7(2) - The benefit of this rule is not admissible in cases where a Government servant has elected the revised pay structure in respect of his substantive post, but has retained the existing scale in respect of an officiating post.



as fresh recruits on or after 1.1.2006.

Rule 9 & 10 - These rules prescribe the manner in which the next increment in the new scale should be regulated. The provisos to this rule are intended to eliminate the anomalies of junior Government servants drawing more pay than their senior by the operation of substantive part of this rule and also taking care of the Government servants who have been drawing pay at the maximum of the existing scale for more than one year as on 1.1.2006 and also those Government servants who have been stagnating at the maximum of the existing scale and are actually in receipt of stagnation increment on ad hoc basis.

Rule 11 to 17 - These rules are self-explanatory.

[F. No. 11/1/2008/D (Civ-I)]  
AJAY TIRKEY, Jt. Secy. (E&PG)

**Illustration 1** : Fixation of initial pay in the revised pay structure

1.	Existing Scale of Pay	Rs.4000-100-6000
2.	Pay Band applicable	PB-1 Rs.5200-20200
3.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.4800
4.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs. 8928 (Rounded off to Rs.8930)
5.	Pay in the Pay Band PB-2	Rs.8930
6.	Stage in the Pay Band after including benefit of bunching, if admissible	Rs.8930
7.	Grade Pay attached to the scale	Rs.2400
8.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.11330

**Illustration 2** : Fixation of initial pay in the revised pay structure of medical officers

1.	Existing Scale of Pay	Rs.10000-15200
2.	Pay Band applicable	PB-3 Rs.15600-39100
3.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.10000
	Dearness Pay (DP) on pay + NPA	Rs. 6250
	25% NPA on basic pay + DP	Rs.4063
	Dearness Allowance (DA) @ 24%	Rs.4875 (24% of basic pay +DP+NPA)
	Existing emoluments	Rs.25188 (Rounded off to Rs.25190)
4.	Revised pay in the pay band after Multiplication by a factor of 1.86 on basic pay	Rs.18600

5.	DA on NPA	Rs.976 (24% of Rs.4063)
6.	Pay in the Pay Band attached to the scale	Rs.19580 (18600+976=Rs.19576 Rounded off)
7.	Grade Pay attached to the scale	Rs.6600
8.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.26180
9.	Revised NPA	Rs.6545

**Illustration 3****Stage 1 : Initial fixation of Group D employee in -1S**

1.	Existing Scale of Pay	Rs.2500-55-2660-60-3200
2.	Pay Band applicable	-1S Rs.4440-7440
3.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.2840
4.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs.5282 (Rounded off to Rs.5290)
5.	Pay in the Pay Band	Rs.5290
6.	Pay in the Pay Band after including benefit of bunching, if admissible	Rs.5290
7.	Grade Pay attached to the scale	Rs.1300
8.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.6590

**Stage 2 : Fixation of Group D employee possessing requisite qualification or after retraining**

1.	Existing Scale of Pay	Rs.2500-55-2660-60-3200
2.	Pay Band applicable	PB-1 Rs.5200-20200
3.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.2840
4.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs.5282 (Rounded off to Rs.5290)
5.	Pay in the Pay Band PB-1	Rs.5290
6.	Pay in the Pay Band after including benefit of bunching, if admissible	Rs.5530



7.	Grade Pay attached to the scale	Rs.1800
8.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.7330

**Illustration 4 A:** Pay fixation in cases where posts have been upgraded e.g posts in pre-revised pay scale of Rs.3050-75-3950-80-4590 to Rs.3200-85-4590 scale

1.	Existing Scale of Pay	Rs.3050-4590 (Corresponding Grade Pay Rs.1900)
2.	Pay Band applicable	PB-1 Rs.5200-20200
3.	Upgraded to the Scale of Pay	Rs.3200-4900 (Corresponding Grade Pay Rs.2000)
4.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.3125
5.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs. 5813 (Rounded off to Rs.5820)
6.	Pay in the Pay Band PB-2	Rs.5820
7.	Pay in the Pay Band after including benefit of bunching in the pre-revised scale of Rs.3050-4590, if admissible	Rs.6060
8.	Grade Pay attached to the scale of Rs.3200-4900	Rs.2000
9.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.8060

**Illustration 4 B:** Pay fixation in cases where pay scales have been merged e.g pre-revised pay scale of Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 and Rs.6500-10500

1.	Existing Scale of Pay	Rs.5000-150-8000
2.	Pay Band applicable	PB-2 Rs.9300-34800
3.	Merged with the Scale of Pay	Rs.6500-200-10500
4.	Existing basic pay as on 1.1.2006	Rs.5600
5.	Pay after multiplication by a factor of 1.86	Rs. 10416 (Rounded off to Rs.10420)
6.	Pay in the Pay Band PB-2	Rs.10420
7.	Pay in the Pay Band after including benefit of bunching, if admissible	Rs.10420
8.	Grade Pay attached to the scale of Rs.6500-200-20500	Rs.4200

9.	Revised basic pay – total of pay in the pay band and grade pay	Rs.14620
----	--	----------

**Illustration 5** : Pay fixation on grant of increment in the revised pay structure.

1.	Pay in the PB-2	Rs.9300
2.	Grade Pay	Rs.4200
3.	Total of pay + grade pay	Rs.13500
4.	Rate of increment	3% of 3 above
5.	Amount of increment	Rs.405 rounded off to Rs:410
6.	Pay in the pay band after increment	Rs.9300 + 410
7.	Pay after increment	Rs.9710
8.	Grade pay applicable	Rs.4200